

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXV contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Anil Kumar Chopra

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 08, Monday, July 31, 2023/ Sravana 9, 1945 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM REPUBLIC OF MALAWI	11
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 141 to 143	12-16
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 144 to 160	77-125
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840	126-948

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	949-978, 1029
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
25 th and 26 th Reports	979
COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS	
Statement	980
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 680 DATED 06.02.2023 REGARDING 'EDUCATION CESS'	981-989
STATEMENTS BY MINISTERS	990-993,1030
(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 340 th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2023- 2024) pertaining to the Ministry of Culture	
Shri Nityanand Rai	990
(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 43 rd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	
Shri Pralhad Joshi	1030
(iii) Status of implementation of the recommendations /observations contained in the 243 rd Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region	
Shri B.L. Verma	991

(iv)(a)	Status of implementation of the recommendations contained in the 345 th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 337 th Report of the Committee on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education.	992
(b)	Status of implementation of the recommendations contained in the 348 th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education	
	Dr. Subhas Sarkar	993
	MATTERS UNDER RULE 377	994-1020
(i)	Need to set up a bench of Odisha High Court in Western Odisha	
	Shri Basanta Kumar Panda	994
(ii)	Regarding establishment of an AIIMS in Raichur	
	Shri Raja Amareshwara Naik	995
(iii)	Need to run Vande Bharat Express train from Chhapra or Siwan to Delhi, Kolkata and Varanasi	
	Shri Janardan Singh Sigrwal	996
(iv)	Need to cancel the license of seed company distributing substandard maize seed to farmers in Madhya Pradesh	
	Dr. Dhal Singh Bisen	997

- (v) Regarding stoppage of Jan Shatabdi Express or Tejas Express train at Rajapur Road Station
Shri Manoj Kotak 998
- (vi) Need to set up a national level sports institute in Haryana Central University
Shri Dharambir Singh 999
- (vii) Regarding flooding caused by river Ghaggar in Haryana
Sushri Sunita Duggal 1000
- (viii) Need to provide safety and security to women, children and Dalits
Shri Ramcharan Bohra 1001
- (ix) Need to extend train services terminating at Ahmedabad upto Rajkot
Shri Mohanbhai Kundariya 1002
- (x) Need to amend section 108 of Indian Evidence Act to reduce the period from 7 years to 3 years for presuming dead the person(s) whose body are not traceable during natural calamities
Shri Rajendra Agrawal 1003
- (xi) Need to resume flight services from Nanded to Mumbai, Amritsar, Chandigarh, Delhi and Hyderabad
Shri Prataprao Patil Chikhlikar 1004
- (xii) Need to construct a rail over bridge at level crossing no. 43 between Palanpur and Gandhidham railway lines in Gujarat
Shri Parbatbhai Savabhai Patel 1005

- (xiii) Regarding problem of water-logging in underpasses of Railway Freight Corridor Project in Akbarpur Parliamentary Constituency
Shri Devendra Singh'Bhole' 1006-1007
- (xiv) Regarding setting up an All India Institute of Medical Sciences in Kerala
Dr. Shashi Tharoor 1008
- (xv) Regarding release of Indian fishermen detained in Iran
Adv. Adoor Prakash 1009
- (xvi) Regarding construction of Angmali – Sabari railway line in Kerala
Adv. Dean Kuriakose 1010
- (xvii) Regarding stoppage of Vande Bharat Express running from MGR Chennai Central to Coimbatore at Jolarpettai in Tamil Nadu
Shri C. N. Annadurai 1011
- (xviii) Regarding erosion caused by river Ganga in Murshidabad district
Shri Khalilur Rahaman 1012
- (xix) Regarding setting up of Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks in Andhra Pradesh
Shri Raghu Rama Krishna Raju 1013

(xx)	Need to provide financial assistance to compensate the damage caused to property and crops due to heavy rains in Buldhana Parliamentary Constituency	Shri Prataprao Jadhav	1014
(xxi)	Need to expedite Koshi Mechi link project	Shri Dulal Chandra Goswami	1015
(xxii)	Regarding enhancement of pension of EPS 95 pensioners of Odisha	Shrimati Manjulata Mandal	1016
(xxiii)	Regarding grant of funds and national status to Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Scheme	Shri B.B. Patil	1017
(xxiv)	Need to revive Ashok Paper Mill in Darbhanga	Shri Prince Raj	1018
(xxv)	Need to lift the ban on export of non-basmati rice	Shri Jagdambika Pal	1019
(xxvi)	Regarding train services in Eastern UP and Bihar	Shri Shyam Singh Yadav	1020

**STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL FOR
AMENDING THE FIRST SCHEDULE OF CUSTOMS
TARRIF ACT ,1975**

1021-1022

Shri Pankaj Chaudhary

1021

Statutory Resolution - Adopted

1022

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (FIFTH AMENDMENT) BILL, 2022	1023-1025
Amendment Made by Rajya Sabha	
Motion to Consider	1023
Shri Arjun Munda	1023
Amendments Agreed to	1025
CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (THIRD AMENDMENT) BILL, 2022	1026-1028
Amendment Made by Rajya Sabha	
Motion to Consider	1026
Shri Arjun Munda	1026
Amendments Agreed to	1028
CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL, 2023	
As Passed by Rajya Sabha	1031-1046
Motion to Consider	1031
Shri Anurag Singh Thakur	1031-1034, 1039-1045
Shri Manoj Tiwari	1034-1035
Shri Maddila Gurumoorthy	1035-1036
Shri Ramshiromani Verma	1036-1037
Shri Krupal Balaji Tumane	1037-1038
Shrimati Navneet Ravi Rana	1038-1039
Shri Shankar Lalwani	1039
Clauses 2 to 10 and 1	1045
Motion to Pass	1046

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	1016
Member-wise Index to Unstarred Questions	1017-1023

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	1024
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	1025

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, July 31, 2023/ Sravana 09, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

**WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM
REPUBLIC OF MALAWI**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं।

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से, भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथि, मलावी गणराज्य की नेशनल असेम्बली की अध्यक्षा महामहिम सुश्री कैथरीन गोदानी हारा और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ।

मलावी गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन रविवार 30 जुलाई, 2023 को हुआ था। शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त आगरा की यात्रा भी करेंगे। उनका भारत से प्रस्थान शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त, 2023 को होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं।

उनके माध्यम से, हम मलावी गणराज्य की संसद, वहाँ की सरकार और वहाँ की मित्रवत जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं।

11.01hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 141,

श्री सुनील कुमार मंडल.

... (व्यवधान)

11.02 hours

At this stage, Shri Hibi Eden, Shri S. S. Palanimanickam and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुनील कुमार मंडल ।

... (व्यवधान)

(Q141)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 142, डॉ. निशिकांत दुबे ।

... (व्यवधान)

(Q. 142)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को नयी शिक्षा नीति के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने वर्षों बाद मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया... (व्यवधान)

महोदय, शिक्षा की जो समस्याएं हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे 374 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट दी है। उसके पीछे दो रीजन्स हैं... (व्यवधान) वे ये हैं कि राज्य का बोर्ड अलग है और सीबीएसई बोर्ड अलग है। जो बच्चे नौकरी पाते हैं, वे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं। राज्यों के जो बोर्ड हैं, वे उस तरह से शिक्षा में कोप-अप नहीं कर सकते हैं... (व्यवधान) दूसरी बात, पैसे खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम राज्य सरकारें जितने स्कूल चला रही हैं, खासकर मेरे राज्य झारखण्ड में, उनमें शिक्षकों की भारी कमी है। रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के तहत जो पैसे दिए जाते हैं, उससे

बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन विद्यालयों में शिक्षक न होने के कारण न स्कूलों में पढ़ाई हो पा रही है, न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है।... (व्यवधान) मुझे पता है कि ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नयी शिक्षा नीति है, उसमें भारत सरकार कैसे इन 374 डिस्ट्रिक्ट्स को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी?... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। ... (व्यवधान) शिक्षा कनकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार का दायित्व आर्थिक अनुदान देने का है। ... (व्यवधान) लेकिन उसका क्रियान्वयन करने का दायित्व मूलतः राज्य सरकार का है। ... (व्यवधान) इस सबके बावजूद, अभी-अभी जैसे, परसों माननीय प्रधान मंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़ाने के लिए 'पीएम श्री स्कूल्स' के तहत 6,207 स्कूलों को पहली किश्त देकर आर्थिक अनुदान दिया। ... (व्यवधान) इसी बात के साथ-साथ हमारी संघीय व्यवस्था में जो दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है, उसमें उसको क्रियान्वित करने का राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेदारी है। ... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य की चिंता को ग्रहण करता हूँ। ... (व्यवधान) मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा कि भारत सरकार की योजनाओं का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने का माननीय प्रधान मंत्री जी ने बीड़ा उठाया है। ... (व्यवधान) देश में सेंट्रल स्कूल्स और सेंट्रल कॉलेजेज बनते हैं। ... (व्यवधान) हमने हमेशा यह देखा है, हमें जो यह लिस्ट मिली है, इसमें झारखंड के 12 ऐसे जिले हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ... (व्यवधान) ये सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। ... (व्यवधान) भारत सरकार का 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मापदंड है। ... (व्यवधान) इन जिलों में से छः जिले संथाल परगना के हैं, एक क्षेत्र माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का है, जो कि हमसे सटा हुआ है और गिरीडीह है। ... (व्यवधान) झारखंड के 12 जिलों में से आठ जिले ऐसे हैं, जो संथाल परगना और उसके इर्द-गिर्द हैं। ... (व्यवधान) लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज प्रभावी होने के कारण वह रांची जैसी जगहों में बन जाती हैं या राज्यों की राजधानी में बन जाती हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह भी है और यह प्रश्न भी है कि क्या आप इस लिस्ट को देखते हुए संथाल परगना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक इकाई या जो रांची विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका एक कैम्पस खोलेंगे, जिससे हम अपनी तरफ से शिक्षा को बढ़ावा दे पाएं? ... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल खोलने की जो प्रक्रिया है, उसमें राज्यों की प्रमुख जिम्मेदारी है। ... (व्यवधान) मैं आदरणीय सदस्य को आश्चस्त करना चाहूंगा कि अभी जो 'पीएम-ऊषा' – प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान का नया संस्करण, जो कि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक चलेगा, इसमें प्रदेशों के आकांक्षी जिलों को, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। ... (व्यवधान)

SHRI N. REDDEPPA : Sir, what are the steps that the Government has undertaken to ensure that educational institutions like Eklavya Schools across all the districts of Andhra Pradesh, especially in Chittoor district, do not suffer? ... (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, एकलव्य स्कूल्स का दायित्व भारत सरकार के जनजाति कल्याण विभाग दायित्वों में है। ... (व्यवधान) मैं चित्तूर की जानकारी अपने सहयोगी मंत्री जी के साथ चर्चा करके माननीय सदस्य को उससे अवगत करवा दूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर – 143, श्री राकेश सिंह जी ।

... (व्यवधान)

(Q. 143)

श्री राकेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके संकल्प और दूरदृष्टि से भारत आज इंग्लैंड जैसे विकसित देश को भी पीछे करके विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ... (व्यवधान) आने वाले कुछ समय में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम अग्रसर हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने दोनों प्रश्न एक साथ ही पूछ लेता हूँ। ... (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन को लेकर समय-समय पर रेटिंग एजेंसियां अपने आंकड़े जारी करती हैं। ... (व्यवधान) ये उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं, यह अलग बात है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर हो, बेहतर दिखे, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? ... (व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न है कि यदि हम यह मानते हैं कि हमारा प्रदर्शन बेहतर है, तो ऐसा मानने के पीछे हमारे क्या मापदंड या क्या आधार हैं? धन्यवाद। ... (व्यवधान)

श्री पंकज चौधरी : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी है, देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में गंभीरता से काम करना शुरू किया है।... (व्यवधान) अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया टू मैनुफैक्चरिंग इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आदि कार्यक्रम हैं।... (व्यवधान) जो 29 श्रम कानून थे, उनका सरलीकरण करके चार लेबर कोड बनाये गए।... (व्यवधान) इस देश में तो ऐसे-ऐसे कानून थे, जो कहीं न कहीं वर्षों पुराने थे।... (व्यवधान) चर्चिल का सिगार असिस्टेंट जैसे भी कानून थे।... (व्यवधान) ऐसे हजारों कानूनों को हमने समाप्त किया ताकि सरलीकरण हो सके।... (व्यवधान) वन नेशन-वन टैक्स के हिसाब से जीएसटी सफलतापूर्वक लागू किया।... (व्यवधान) इनकम टैक्स में जो समस्याएं थीं, फेसलेस को सफलतापूर्वक लाया गया।... (व्यवधान) वहीं पर पीएलआई स्कीम लायी गई।... (व्यवधान) राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को लाया गया।... (व्यवधान) पीएम गति शक्ति का शुभारम्भ किया गया।... (व्यवधान) इन संरचनात्मक सुधारों के अतिरिक्त भारत सरकार ने पूँजीगत व्यय बढ़ाने पर अभूतपूर्व जोर दिया है।... (व्यवधान) इसी कारण हमारे सकल पूँजी निर्माण में अत्यधिक वृद्धि हुई है।... (व्यवधान) इसका गुणात्मक असर अर्थव्यवस्था की मजबूती के

रूप में दिख रहा है।... (व्यवधान) इन्हीं सभी कारणों से मैं कह सकता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है।... (व्यवधान)

महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सवाल है कि किस आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं।... (व्यवधान) वर्ष 2022 में, इसके पहले जब कोविड की महामारी पूरी दुनिया में छायी हुई थी, भारत भी उससे अछूता नहीं था।... (व्यवधान) मगर उसके बाद भी देखें तो वर्ष 2022 में वास्तविक जीडीपी 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी।... (व्यवधान) जो वर्ष के दौरान दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।... (व्यवधान) इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट काफी अच्छी है।... (व्यवधान) विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में ब्याज दरें भी बेहतर हैं।... (व्यवधान) जहाँ तक डॉलर के मुकाबले विनिमय दर की बात है, चाहे वह जापानी येन हो, चाहे कोरियन वॉन हो, इन एशियाई मुद्राओं की तुलना में भारत का रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।... (व्यवधान) इसी तरह अगर भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देखें तो 40वें स्थान पर पहुँच गया है।... (व्यवधान) भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन भी अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान जैसे देशों की तुलना में ज्यादा बेहतर रहा है और निवेशकों को हाई रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं।... (व्यवधान) भारत में इन्फ्लेशन की दर में गिरावट के कारण भारतीय एसेट्स, प्रतिभूतियों के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी संकेतक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।... (व्यवधान) इसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा ही नहीं, बल्कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है।... (व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : महोदय, मेरे दोनों प्रश्न हो गए हैं। मैंने दोनों प्रश्न एक साथ ही पूछ लिए थे।... (व्यवधान)

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

**(Starred Question Nos. 144 to 160
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840)
(Page No. 17 to 948)**

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न काल चलाना नहीं चाहते हैं। आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं। सदन की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

... (व्यवधान)

14.00½ hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Sushri Mahua Moitra, Shri Dayanidhi Maran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिसेज प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

14.02 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2, श्री प्रह्लाद जोशी जी।

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Sir, on behalf of Shri Rao

Inderjit Singh, I beg to lay on the Table

- (1) A copy of the Company Secretaries (Amendments) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. 710/1(M)/2 in Gazette of India dated 3rd April, 2023 under Section 40 of the

Company Secretaries Act, 1980.

[Placed in Library, See No. LT 9752/17/23]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost & Works Accountants Act, 1959:-

- (i) Notification No. EI-2023/1 published in Gazette of India dated 31st March, 2023 notifying dates, mentioned therein, for conduct of elections to the Council and Regional Councils for the year 2023 of the Institute of Cost Accountants of India.
- (ii) Notification No. EI-2023/2 published in Gazette of India dated 31st March, 2023 notifying total number of members to be elected to the Council from all regional constituencies of the Institute of Cost Accountants of India.
- (iii) Notification No. EL-2023/3 published in Gazette of India dated 31st March, 2023 notifying elections to the Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India.
- (iv) Notification No. EL-2023/4 published in Gazette of India dated 31st March, 2023 notifying constitution of the Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India.
- (v) Notification No. EL-2023/5 published in Gazette of India dated 31st March, 2023 notifying payment of fee for elections to the Council and election to the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India.
- (vi) Notification No. EL-2023/6 published in Gazette of India dated

- 31st March, 2023 notifying payment of security deposit for the elections to the Council and elections to the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India.
- (vii) Notification No. EL-2023/7 published in Gazette of India dated 31st March, 2023 notifying recognition of qualifications for the purpose of sub-rule (4) of Rule 9 read with Schedule 4 of the Cost and Works Accountants (Election to the Council) Rules, 2006.
- (viii) Notification No. EL-2023/8 published in Gazette of India dated 31st March, 2023 notifying list of members eligible to vote (List of voters) from the various constituencies for elections to the Twenty-first Council and the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India.
- (ix) Notification No. EL-2023/9 published in Gazette of India dated 31st March, 2023 notifying ceiling of expenditure to be incurred by a candidate for elections to the Council and the Regional Councils.
- (x) Notification No. EL-2023/31 published in Gazette of India dated 18th July, 2023 notifying members, mentioned therein, who have been declared elected to the Twenty first Council of the Institute of Cost Accountants of India for the Term 2023-2027.
- (xi) Notification No. EL-2023/32 published in Gazette of India

dated 18th July, 2023 notifying members, mentioned therein, who have been declared elected to the four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India for the Term 2023-2027.

[Placed in Library, See No. LT 9753/17/23]

- (3) A copy of the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. 1-CA(7)/201/2023 in Gazette of India dated 23rd December, 2022, under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949.

[Placed in Library, See No. LT 9754/17/23]

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-3, श्री प्रह्लाद जोशी ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri

Arjun Ram Meghwal, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of Output-Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Ministry of Culture for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 9755/17/23]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New

Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, for the year 2020-2021.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9756/17/23]

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर-4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9757/17/23]

(2) राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदना

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9758/17/23]

- (4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2023 जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 414(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2023 जो 17 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 373(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 14 जून, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 435(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 19 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 376(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पर्यावरण (तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा फसल अवशेषों का उपयोग) नियम, 2023 जो 12 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2023 जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 436(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9759/17/23]

- (5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 282(अ) जो 11 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.6035(अ) जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9760/17/23]

(6) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वन्य पशु वस्तु का वन्य जीव निपटान नियम, 2023 जो 12 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रजाति प्रजनन अनुज्ञप्ति नियम, 2023 जो 27 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 1950(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9761/17/23]

(7) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.1394(अ) जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2023 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9762/17/23]

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-5, श्री पंकज चौधरी ।

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Sir, on behalf of Shri Pankaj

Chaudhary, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) (Repeal) Regulations, 2023, published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/138 in Gazette of India dated 3rd July, 2023.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2023, published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/129 in Gazette of India dated 15th May, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9763/17/23]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Promotion Act, 1873:-

(i) The Kisan Vikas Patra (Second Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.324(E) in Gazette of India dated 28th April, 2023.

(ii) The National Savings (Monthly Income Account) (Third Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No.

- G.S.R.325(E) in Gazette of India dated 28th April, 2023.
- (iii) The Senior Citizens' Savings (Third Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No.G.S.R.326(E) in Gazette of India dated 28th April, 2023.
 - (iv) The National Savings Time Deposit (Second Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.327(E) in Gazette of India dated 28th April, 2023.
 - (v) The National Savings Certificates (VIII issue) (Second Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.328(E) in Gazette of India dated 28th April, 2023.
 - (vi) The Sukanya Samriddhi Account (Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.329(E) in Gazette of India dated 28th April, 2023.
 - (vii) The National Savings Recurring Deposit (Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.330(E) in Gazette of India dated 28th April, 2023.
 - (viii) The Mahila Samman Savings Certificate, 2023 published in Notification No. G.S.R.237(E) in Gazette of India dated 31st March, 2023.
 - (ix) The Government Savings Promotion General (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.238(E) in Gazette of India dated 31st March, 2023.
 - (x) The National Savings (Monthly Income Account) (Amendment)

Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.239(E) in Gazette of India dated 31st March, 2023.

- (xi) The Senior Citizens' Savings (Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.240(E) in Gazette of India dated 31st March, 2023.
- (xii) The Government Savings Promotion General (Second Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.488(E) in Gazette of India dated 3rd July, 2023.
- (xiii) The Post Office Savings Account (Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.489(E) in Gazette of India dated 6th July, 2023.
- (xiv) The National Savings (Monthly Income Account) (Fourth Amendment) Scheme, 2023 published in Notification No. G.S.R.490(E) in Gazette of India dated 6th July, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9764/17/23]

- (3) A copy of the Notification No. G.S.R.505(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 14th July, 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 18/2022-Central Excise, dated 19th July, 2022 to increase the Special Additional Excise Duty on production of Petroleum Crude under sub-section (2) of Section 38 of Central Excise Act, 1944.

[Placed in Library, See No. LT 9765/17/23]

- (4) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 9766/17/23]

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 24 of the Coinage Act, 2011:-

- (i) The Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of 50 YEARS OF PROJECT TIGER) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.212(E) in Gazette of India dated 23rd March, 2023.
- (ii) The Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of “DIAMOND JUBILEE YEAR OF CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION”) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.234(E) in Gazette of India dated 29th March, 2023.
- (iii) The Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of “100th Episode of Mann Ki Baat”) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.310(E) in Gazette of India dated 20th April, 2023.
- (iv) The Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of NATIONAL TECHNOLOGY DAY – 25TH ANNIVERSARY OF OPERATION SHAKTI) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.339(E) in Gazette of India dated 3rd May, 2023.
- (v) The Coinage (Issue of Commemorative coin on the occasion of

Inauguration of New Parliament Building) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.389(E) in Gazette of India dated 25th May, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9767 /17/23]

- (6) A copy of the Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/133 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th June, 2023 appointing 1st day of September, 2023 as the date on which the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992 shall come into force issued under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 9768/17/23]

- (7) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Market Borrowing by Central Government during the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 9769/17/23]

- (8) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Financial Services Centres Authority, Gandhinagar, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 9770 /17/23]

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-6, श्री रामेश्वर तेली ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.2060(अ) जो 3 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 मई, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको उसमें उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कतिपय उपबंध लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9771 /17/23]

- (2) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 16 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.2061(अ) जो 3 मई, 2023 के भारत के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2022 की सिविल अपील संख्या 8143-8144 [2019 की एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659], में माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 नवम्बर, 2022 के निर्णय में अंतर्विष्ट निदेश के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9772/17/23]

- (3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वित्तीय आकलन और कार्यनिष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9773/17/23]

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-7, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9774/17/23]

(3) (एक) समग्र शिक्षा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9775/17/23]

(5) (एक) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, त्रिपुरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9776/17/23]

- (7) (एक) समग्र शिक्षा, सिक्किम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, सिक्किम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9777/17/23]

- (9) (एक) समग्र शिक्षा, मिज़ोरम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, मिज़ोरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9778/17/23]

- (11) (एक) समग्र शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9779/17/23]

- (13) (एक) समग्र शिक्षा, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9780/17/23]

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-8, श्री सुभाष सरकार ।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9781/17/23]

- (3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9782/17/23]

- (5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9783/17/23]

- (7) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9784/17/23]

- (9) (एक) आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरामू के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरामू के वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9785/17/23]

- (11) (एक) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9786/17/23]

- (13) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9787/17/23]

(15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9788/17/23]

(17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलाँग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलाँग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9789/17/23]

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9790/17/23]

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9791/17/23]

(23) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9792/17/23]

(25) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9793/17/23]

(27) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9794/17/23]

(29) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9795/17/23]

(31) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9796/17/23]

(33) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9797/17/23]

(35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9798/17/23]

- (37) (एक) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9799/17/23]

- (39) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9800/17/23]

- (41) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2020-2021 और वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2020-2021 और वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2020-2021 और वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9801/17/23]

- (43) (एक) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9802/17/23]

- (45) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9803/17/23]

- (47) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9804/17/23]

- (49) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9805/17/23]

- (51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9806/17/23]

(53) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9807/17/23]

(55) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (56) उपर्युक्त (55) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9808/17/23]

- (57) मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9809/17/23]

- (59) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोमुख के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोमुख के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोमुख के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9810/17/23]

- (61) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (62) उपर्युक्त (61) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9811/17/23]

- (63) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9812/17/23]

- (65) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9813/17/23]

- (67) मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2022 जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 5-40/स्था.।/19/4 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) “स्कूल्स ऑफ स्टडीज को विभागों का समनुदेशन संबंधी” अध्यादेश ओए-1 का संशोधन जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 5-40/स्था.1/19/6 में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 9814/17/23]

- (68) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कॉलेजों को स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जाना और स्वायत्तशासी कॉलेजों में मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.1-18/2021 (सीपीपी-II) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (डीम्ड विश्वविद्यालय वाली संस्थाएं) विनियम, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.1-1/2021 (सीपीपी-1/डीयू) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9815/17/23]

- (69) फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9816/17/23]

- (71) महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी चम्पारण के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9817/17/23]

- (73) नागालैण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सं.एनयू/ओआरडी-01/2023-4978(अ) जो 1 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागालैण्ड विश्वविद्यालय के कतिपय संशोधित और नए अध्यादेशों को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9818/17/23]

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-9, डॉ. भागवत कराड ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-10, श्री गुमान सिंह दामोर ।

14.03hrs

**COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED
CASTES AND SCHEDULED TRIBES**

25th and 26th Reports

ER. GUMAN SINGH DAMOR (RATLAM): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2023-24):-

1. Twenty-fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) on the subject 'Role of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) in formulation, implementation and monitoring of reservation policy' pertaining to the Ministry of Personnel, public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training).
 2. Twenty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on action taken by the Government on the recommendations contained in the Fourteenth Report (17th Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject 'Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Banks/Financial Institutions/Reserve Bank of India and credit facilities and other benefits being provided by such Institutions/Banks to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes with special reference to the Life Insurance Corporation of India (LIC)' pertaining to the Ministry of Finance.
-

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-11, श्री पी.पी. चौधरी जी ।

14.03½hrs

COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

Statement

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति जी, मैं 'कोविड-19 वैश्विक महामारी: वैश्विक प्रत्युत्तर, भारत का योगदान और भावी योजना' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर-12, श्री पंकज चौधरी ।

14.04½ hrs

**STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 680
DATED 06.02.2023 REGARDING 'EDUCATION CESS' ALONGWITH REASONS
FOR DELAY***

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति जी, मैं 'शिक्षा उपकर' के बारे में श्री टी.आर. बालू, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के 6 फरवरी, 2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 9746/17/23.

"Paper to be laid on the Table of Lok Sabha"

पत्र जो लोक सभा के सदन के सभा में पढ़ा जाय
Paper to be laid on the Table of Lok Sabha
पत्र जो लोक सभा के सदन के सभा में पढ़ा जाय

(PANKAJ CHANDRA)

विश्व मन्त्रालय के सचिव

STATEMENT TO BE LAID BY THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE CORRECTING THE ANSWER TO PART (a) and (b) OF THE UNSTARRED QUESTION NO. 680 GIVEN IN THE LOK SABHA ON 06.02.2023 REGARDING EDUCATION CESS

I beg to correct the Part (a) to (d) given in the answer to Unstarred Question No. 680 in the Lok Sabha on 06.02.2023 regarding "Education Cess" as follows:

(a) whether Education Cess collected by Government is transferred to the Ministry of Education in full every year;	For				Read			
	Financial Year	Cess Collected under Health & Education Cess	Eligible percentage share of Ministry of Education	Total amount allocated to Ministry of Education	Financial Year	Cess Collected under Health & Education Cess	Eligible percentage share of Ministry of Education	Total amount allocated to Ministry of Education
(b) if so, the details thereof for the last five years;	2018-19	41177.44	28412.43	25227.90	2018-19	41177.44	30883.08	25227.90
	2019-20	39131.09	27000.45	41308.60	2019-20	39131.09	29348.32	41308.60
	2020-21	35821.54	24716.86	50729.61	2020-21	35821.54	26866.16	50729.61
	2021-22	52732.33	36385.31	56788.25	2021-22	52732.33	39549.25	56788.25
	2022-23*	62500.01	43125.01	62350.00	2022-23*	62500.01	46875.01	62350.00
	Total	231362.41	159640.06	236404.36**	Total	231362.41	173521.82	236404.36**
(c) whether there has been any shortfalls in transferring the said cess and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ; and	*Revised Estimates 2022-23				*Revised Estimates 2022-23			
	** The Reserve Fund related to the MUSK has not been created but the amount is being utilized by the Ministry of Education for the Schemes				** The Reserve Fund related to the MUSK has not been created but the amount is being utilized by the Ministry of Education for the Schemes			
(d) the extent to which the realization of targets have been impacted because of the said shortfalls in transfer of education cess to the Ministry of Education?								

The inconvenience caused is regretted.

972

“Paper to be laid on the Table of Lok Sabha”

लोक सभा के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए
 Paper to be laid on the table of Lok Sabha
 अभिलेखित / AUTHENTICATED

(पंकज चौधरी)
 (PANKAJ CHAUDHARY)
 वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
 Minister of State in the Ministry of Finance

**STATEMENT GIVING REASONS FOR DELAY IN MAKING CORRECTION
 STATEMENT IN RESPECT OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 680
 DATED 06.02.2023 ASKED BY SHRI T. R. BAALU REGARDING “EDUCATION
 CESS”**

Lok Sabha Unstarred Question No. 680 was answered on 6th February 2023. The reply included information related the eligible percentage share of Ministry of Education out of the total Health & Education Cess collected. This was based on the eligibility of Ministry of Education for 60% and 15% of the total proceeds of Health & Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) and Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK) respectively. However, in April 2023, during internal reconciliation/scrutiny of data, it was observed that the information furnished in reply to the above mentioned Parliament Question, particularly the information in column 3 of the Table, was not as per the eligible percentage share of the M/o Education. This was due to an inadvertent calculation mistake where the ‘eligible percentage share of Ministry of Education’ was taken as 69% (60% for Primary Education and 15% of the 60% for Higher Education) instead of 75% (60% for Primary Education and 15% for Higher Education) of the Health & Education Cess collected.

In view of the above, the Notice for correcting the reply to the above mentioned Parliament Question could not be sent within a week after the date of reply. The Statement to correct the reply to Untarred Question No. 680 answered on 06.02.2023 is being laid on the table of Lok Sabha during the current Session.

House Reply 973

Government of India
Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs
Lok Sabha

Unstarred Question No. 680

To be answered on Tuesday, the 6th February, 2023

Education Cess

QUESTION

680. Shri T.R. Baalu

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- whether Education Cess collected by Government is transferred to the Ministry of Education in full every year;
- if so, the details thereof for the last five years;
- whether there has been shortfalls any in transferring the said cess and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
- the extent to which the realization of targets has been impacted because of the said shortfalls in transfer of education cess to the Ministry of Education?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (d)

Ministry of Education is eligible for 60% and 15% of the total proceeds of Health and Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) and Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK**) respectively. The following table shows the actual transfer of share to the Ministry of Education during last 5 years:

(Rs. in Crore)

Financial Year	Cess Collected under Health & Education Cess	Eligible percentage share of Ministry of Education	Total Amount allocated to Ministry of Education
2018-19	41177.44	28412.43	25227.90
2019-20	39131.09	27000.45	41308.60
2020-21	35821.54	24716.86	50729.61
2021-22	52732.33	36385.31	56788.25
2022-23*	67500.01	43125.01	62350.00
Total	231362.41	159640.06	236404.36

* Revised Estimates 2022-23

** The Reserve Fund related to the MUSK has not been created but the amount is being utilized by Ministry of Education for the schemes

CORRECTED REPLY

974

Government of India
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs
Lok Sabha

Unstarred Question No. 680
Answered on Tuesday the 6th February, 2023

संलग्न कागज के पृष्ठ पर उक्त कागज को प्रमाणित करने के लिए
Papers to be held on the table of Lok Sabha
संलग्न/प्रमाणित

(पंकज चौधरी)
(PANKAJ CHAUDHARY)
वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री
Minister of State in the Ministry of Finance

Education Cess

QUESTION

680. Shri T.R. Balu

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- whether Education Cess collected by Government is transferred to the Ministry of Education in full every year;
- if so, the details thereof for the last five years;
- whether there has been any shortfalls any in transferring the said cess and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
- the extent to which the realization of targets have been impacted because of the said shortfalls in transfer of education cess to the Ministry of Education?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (d)

Ministry of Education is eligible for 60% and 15% of the total proceeds of Health & Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) and Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosj (MUSK)** respectively. The following table shows the actual transfer of share to the Ministry of Education during last 5 years:

(Rs. in Crore)

Financial Year	Cess Collected under Health & Education Cess	Eligible percentage share of Ministry of Education	Total amount allocated to Ministry of Education
2018-19	41177.44	30883.08	25227.90
2019-20	39131.09	29348.32	41308.60
2020-21	35821.54	26866.16	50729.61
2021-22	52732.33	39549.25	56788.25
2022-23*	62500.01	46875.01	62350.00
Total	231362.41	173521.82	236404.36**

*Revised Estimates 2022-23

** The Reserve Fund related to the MUSK has not been created but the amount is being utilized by the Ministry of Education for the schemes.

475

"लोकसभा के पटल पर रखा जाने वाला कागज"

शिक्षा उपकर के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को लोकसभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के भाग (क) और (ख) के उत्तर को सही करते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

मैं "शिक्षा उपकर" के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के उत्तर में दिए गए भाग (क) से (घ) को निम्नानुसार सही करने का अनुरोध करता हूँ:

(क) क्या सरकार द्वारा संग्रहित कुल शिक्षा उपकर शिक्षा मंत्रालय को प्रतिवर्ष आवंटित कर दी जाती है;	के लिए				पढ़ा जाए			
	(रु. करोड़ में)				(रु. करोड़ में)			
(ख) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;	शिक्षा मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा कोष (एमयूएसके) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय का क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लिए पात्र है। निम्न सारणी पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय को शेयर के वास्तविक हस्तांतरण को दर्शाती है:					शिक्षा मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा कोष (एमयूएसके) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय का क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लिए पात्र है। निम्न सारणी पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय को शेयर के वास्तविक हस्तांतरण को दर्शाती है:		
(ग) क्या उक्त उपकर को आवंटित करने में कोई कमी दर्ज की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और	वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तहत एकत्रित उपकर	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिशत शेयर की पात्रता	शिक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल राशि	वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तहत एकत्रित उपकर	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिशत शेयर की पात्रता	शिक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल राशि
(घ) शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा उपकर हस्तांतरण में आई कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति किस हद तक प्रभावित हुई है?	2018-19	41177.44	28412.43	25227.90	2018-19	41177.44	30883.08	25227.90
	2019-20	39131.09	27000.45	41308.60	2019-20	39131.09	29348.32	41308.60
	2020-21	35821.54	24716.86	50729.61	2020-21	35821.54	26866.16	50729.61
	2021-22	52732.33	36385.31	56788.25	2021-22	52732.33	39549.25	56788.25
	2022-23*	62500.01	43125.01	62350.00	2022-23*	62500.01	46875.01	62350.00
	Total	231362.41	159640.06	236404.36**	Total	231362.41	173521.82	236404.36**
	*संशोधित अनुमान 2022-23				*संशोधित अनुमान 2022-23			
	** एमयूएसके से संबंधित आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया गया है लेकिन इस राशि का उपयोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाओं के लिए किया जा रहा है।				** एमयूएसके से संबंधित आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया गया है लेकिन इस राशि का उपयोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाओं के लिए किया जा रहा है।			

असुविधा के लिए खेद है।

“लोकसभा के पटल पर रखे जाने वाला विवरण”

978
 Minister of State in the Ministry of Finance

“शिक्षा उपकर” के संबंध में श्री टीआर बालू द्वारा पूछे गए लोकसभा के दिनांक 06.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के संबंध में सुधार करने के ब्यौरे को देने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 680 का उत्तर दिनांक 6 फरवरी 2023 को दिया गया था। उत्तर में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से एकत्रित कुल राशि में शिक्षा मंत्रालय के पात्र प्रतिशत हिस्से से संबंधित जानकारी शामिल थी। यह स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय में क्रमशः 60% शिक्षा मंत्रालय के लिए और 15% प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) की पात्रता पर आधारित था। हालाँकि, अप्रैल 2023 में, डेटा के आंतरिक मिलान/जांच के दौरान, यह देखा गया कि उपर्युक्त संसदीय प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी, विशेष रूप से तालिका के कॉलम 3 में दी गई जानकारी, शिक्षा मंत्रालय के पात्र प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार नहीं थी। यह एक अनजाने में हुई गणना की गलती के कारण हुआ, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से एकत्रित राशि में से 'शिक्षा मंत्रालय का पात्र प्रतिशत हिस्सा' 75% (प्राथमिक शिक्षा के लिए 60% और उच्च शिक्षा के लिए 15%) के बजाय 69% (प्राथमिक शिक्षा के लिए 60% और उच्च शिक्षा के लिए 60% का 15%) लिया गया था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उल्लिखित संसदीय प्रश्न के उत्तर को सही करने की सूचना उत्तर की तारीख के एक सप्ताह के भीतर नहीं भेजी जा सकी। दिनांक 06.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 680 के दिए गए उत्तर को सही करने का ब्यौरा वर्तमान सत्र के दौरान लोकसभा के पटल पर रखा जा रहा है।

Previous Reply 14/01/2022 977

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अंतराक्षित प्रश्न संख्या 680
(जिसका उत्तर सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 मार्च, 1944 (शक) को दिया जाना है)

शिक्षा उपकर

680. श्री टी. जार, बालू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा संग्रहित कुल शिक्षा उपकर शिक्षा मंत्रालय को प्रतिवर्ष आवंटित कर दी जाती है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त उपकर को आवंटित करने में कोई कमी दर्ज की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा उपकर हस्तांतरण में आई कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति किस हद तक प्रभावित हुई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ)
शिक्षा मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा कोष (एमयूसके) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय का क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लिए पात्र है। निम्न सारणी पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय को शेष के वास्तविक हस्तांतरण को दर्शाती है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के सहित एकत्रित उपकर	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिशत शेष की पात्रता	शिक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल राशि
2018-19	41177.44	28412.43	25227.90
2019-20	39131.09	27000.45	41308.60
2020-21	35821.54	24716.86	50729.61
2021-22	52732.33	36385.31	56788.25
2022-23*	62500.01	43125.01	62350.00
कुल	231362.41	159640.06	236404.36

* संशोधित अनुमान 2022-23

** एमयूसके से संबंधित आक्षेप निधि नहीं बनाया गया है लेकिन शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाओं के लिए राशि का उपयोग किया जा रहा है

978

सही उत्तर

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या 680

(जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2023/17 मार्च, 1944 (शक) को दिया गया)

लोक सभा के पत्र पर रखे जाने वाले प्रश्न
Papers to be laid on the table of Lok Sabha
अभिप्रायित / AUTHENTICATED
(पंकज चौधरी)
(PANKAJ CHAUDHARY)
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
Minister of State in the Ministry of Finance

शिक्षा उपकर

680. श्री टी. आर. बालू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा संग्रहित कुल शिक्षा उपकर शिक्षा मंत्रालय को प्रतिवर्ष आवंटित कर दी जाती है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त उपकर को आवंटित करने में कोई कमी दर्ज की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा उपकर अंतरण में आई कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति किस हद तक प्रभावित हुई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ)

शिक्षा मंत्रालय प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा कोष (एमयूसके) के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल आय के क्रमशः 60 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के लिए पात्र हैं। निम्न तालिका पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय को शेयर के वास्तविक अंतरण को दर्शाती है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तहत एकत्रित उपकर	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिशत शेयर की पात्रता	शिक्षा मंत्रालय को आवंटित कुल राशि
2018-19	41177.44	30883.08	25227.90
2019-20	39131.09	29348.32	41308.60
2020-21	35821.54	26866.16	50729.61
2021-22	52732.33	39549.25	56788.25
2022-23*	62500.01	46875.01	62350.00
कुल	231362.41	173521.82	236404.36**

* संशोधित अनुमान 2022-23

** एमयूसके से संबंधित आरक्षित निधि नहीं बनाया गया है लेकिन शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाओं के लिए राशि का उपयोग किया जा रहा है।

14.05 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 340th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2023- 2024) pertaining to the Ministry of Culture*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI): Sir, on behalf of Shri Arjun Ram Meghwal, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 340th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Culture.

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 14, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 15, श्री बी.एल. वर्मा जी ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9747/17/23.

14.05½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations /observations contained in the 243rd Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region *

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): माननीय सभापति जी, मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 16, डॉ. सुभाष सरकार जी ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9749/17/23.

14. 06hrs

(iv)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 345th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 337th Report of the Committee on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. SUBHAS SARKAR): Sir, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 345th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the recommendations /observations contained in the 337th Report of the Committee on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9750/17/23.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 348th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. SUBHAS SARKAR): Sir, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 348th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2023-24) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education

... (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9751/17/23.

14.07 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति प्रदान की गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय पर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

... (व्यवधान)

(i) Need to set up a bench of Odisha High Court in Western Odisha

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिम ओडिशा में उच्च न्यायालय बेंच न होने के कारण याचिकाकर्ताओं को 500 किमी० ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक जाना पड़ता है, जिसके कारण हर वर्ग के लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनका जाने-आने में कई गुना खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए कुछ व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपना केस दाखिल नहीं कर पाते हैं। मंत्री से निवेदन है कि राज्य सरकार और मुख्य न्यायाधीश (ओडिशा उच्च न्यायालय) को पश्चिम ओडिशा के एक जिले में उच्च न्यायालय बेंच स्थापित करने हेतु स्थान की पहचान करने हेतु निर्देशित करें। मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा उच्च न्यायालय में लंबित मुद्दों को कम करने के लिए उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय बेंच की जल्द से जल्द शुरुआत करने का आग्रह करता हूं जिससे पश्चिम उड़ीसा के लोगों को इसका लाभ मिल सके और हर वर्ग का व्यक्ति अपने हक की लड़ाई के लिए आसानी से उच्च न्यायालय में पहुंच सके।

* Treated as laid on the Table.

(ii)Regarding establishment of an AIIMS in Raichur

SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK (RAICHUR): Government had announced the establishment of AIIMS in Karnataka. Raichur and Yadgiri are considered most backward Districts and got Special Status under Article 371J. They are included in Transformation of Aspirational Districts programme due to 70 percent SC/ST/OBC population and 59 percent literacy rate. Raichur has most of the population of SC/ST and OBCs who are financially poor and even unable to give good Education, Health facilities to their children. If AIIMS is set up here, Educational and Health facilities will improve for the public and employment opportunities for the unemployed youths will also be created. Dr. D.M. Nanjundappa committee on regional imbalance in Karnataka recommended establishment of a Central University in Kalaburgi and IIT at Raichur. Kalburgi got Central University in 2011 but IIT went to Dharwad. Kalyana Karnataka region is lacking in health facilities and people are dependent on Bengaluru/Pune/Hyderabad for Medical treatment. Raichur has the highest number of infectious diseases cases and 56 to 73 percent of pregnant women/children are malnourished. People are forced to spend more than 76 percent of income on medical treatment. Recently, the Chief Minister of Karnataka has also assured for full infrastructure support if AIIMS is setup in Raichur. Therefore, I demand from the Government to establish an AIIMS in Raichur at the earliest.

**(iii) Need to run Vande Bharat Express train from Chhapra or
Siwan to Delhi, Kolkata and Varanasi**

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा, बिहार, उत्तरी बिहार के सारण प्रमंडल के सिवान एवं सारण (छपरा) जिला में विस्तारित है। इन जिलों का उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के कई जनपदों का सीमावर्ती लगाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार की आम जनता का रेल से आवागमन हेतु पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जं.एवं सिवान जं.का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में तेज गति से कम समय में देश के अंदर रेल से आवागमन हेतु "बंदे भारत" ट्रेन चलाया जा रहा है। इसलिए जनहित में मेरा भी मांग है कि छपरा जं.या सिवान जं. से दिल्ली, कोलकता और वाराणसी के लिए एक बंदे भारत ट्रेन चलाया जाये।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि छपरा जं.या सिवान जं. से उपर्युक्त स्थानों के लिए बंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्द से जल्द कराया जाए ताकि हमारे संसदीय क्षेत्र सहित उत्तर बिहार की आम जनता को आधुनिक रेल सुविधा का लाभ मिल सके।

(iv) Need to cancel the license of seed company distributing substandard maize seed to farmers in Madhya Pradesh

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): इस वर्ष सिवनी जिले सहित मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में किसानों ने तेलंगाना की मक्का बीज उत्पादक एक कंपनी विशेष का मक्का बीज कंपनी द्वारा अधिकृत स्थानीय वितरकों, दुकानदारों से विक्रय किया था, किंतु किसानों को बेचे गये बीज की गुणवत्ता अत्यंत खराब होने के कारण अंकुरण नहीं हो पाया। किसानों का कहना है कि इसकी बोनी के बाद अंकुरण नहीं हुआ, जिस कारण कई किसानों ने दोबारा बोनी करनी पड़ी है। बीज के अंकुरण न होने के कारण किसानों को दोबारा मक्का की बोनी करने से उन्हें बीज के मूल्य सहित खाद, दवाएं एवं दोबारा जुताई करने के कारण अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ा एवं किसानों को काफी हानि का सामना करना पड़ा है। किसानों के खेत खाली हैं, विभागीय अधिकारियों के द्वारा समय पर कार्यवाही न करने के कारण सिवनी जिले के किसानों सहित संपूर्ण प्रदेश के किसान एडवांटा कंपनी के द्वारा बेचे गये मक्का बीज के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इसी से प्रताड़ित होकर सिवनी जिले के किसान ने आत्मदाह तक का प्रयास किया।

ऐसे अमानक, गुणवत्ता हीन बीज का उत्पादन करने वाली इस कंपनी का लाइसेंस तत्काल निरस्त करते हुए किसानों को मय क्षतिपूर्ति के मुआवजा प्रदान करने का कष्ट करें।

(v) Regarding stoppage of Jan Shatabdi express or Tejas express train at Rajapur Road Station

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं माननीय रेलमंत्री जी का ध्यान रत्नागिरी से कणकवली के बीच यात्रा करने वाले रेलयात्रियों की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। रत्नागिरी से कणकवली के बीच 120 किलोमीटर के रेलमार्ग में सिर्फ चार ट्रेनों का स्टॉपेज है- कोकण एक्सप्रेस, सावंतवाड़ी दादर एक्सप्रेस, दिवा एक्सप्रेस और मांडवी एक्सप्रेस। इसके अलावा इस 120 किलोमीटर के फासले में कोई अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं रुकती है।

मेरा माननीय रेल मंत्री महोदय से सविनय निवेदन है कि इस 120 किलोमीटर के बीच पड़ने वाले राजापुर रोड़ स्टेशन में जन शताब्दी एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस का एक स्टॉपेज देने की कृपा करे। रत्नागिरी से कणकवली के बीच और इस स्टेशन के आस पास लगभग 12 हजार से अधिक प्रवासी रहते हैं, जो मुम्बई सहित अन्य स्थानों पर जीविकोपार्जन के लिए आते जाते रहते हैं। राजापुर रोड़ पर स्टॉपेज होने से इन 12 हजार से अधिक लोगों को काफी राहत और लाभ होगा और इन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने में सुविधा मिलेगी। साथ ही कोकण के लोग जो मुंबई और किसी अन्य स्थान पर रोजगार के कारण प्रवास करते हैं और फेस्टिवल्स में या छुट्टियों में अपने घर आना चाहते हैं उन्हें राहत मिलेगी।

**(vi) Need to set up a national level sports institute in
Haryana Central University**

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): तत्कालीन केन्द्र सरकार ने 2009 में पूरे देश में 16 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। इनमें से एक मेरी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस विश्वविद्यालय में लगभग 6000 हजार बच्चा पढ़ता है। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा या खेलकूद का एक भी संस्थान नहीं है।

हरियाणा तो वैसे भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करता है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का खेल संस्थान स्थापित किया जाए। दूसरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, पाली (महेन्द्रगढ़) में बहुत से कोर्स शुरू नहीं किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज सहित बाकी सभी कोर्सों को जल्द से जल्द शुरू कराए जाएं। विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की घोषणा बहुत पहले की जा चुकी है। लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज को शुरू नहीं किया गया है और रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द भरवाया जाए ताकि विद्यार्थियों को फायदा मिल सके।

(vii) Regarding flooding caused by river Ghaggar in Haryana

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): I want to attract the attention of the Government towards the issue of flooding caused by Ghaggar River in my Parliamentary Constituency in wake of heavy downpour in the region. The Ghaggar River, which flows through 87 villages in the Sirsa parliamentary constituency (49 in Sirsa, 38 in Fatehabad), is currently flowing above the danger mark. This year, situation of flooding in the Sirsa parliamentary constituency of Haryana is particularly severe, which has caused flooding in many villages on both sides of the river. However, the Haryana government, local administration, military, and major social service organizations are providing assistance to affected families, and as an outcome, there have been no reported loss of life or cattle. Some of the identified banks of river, which frequently break, should be fortified to mitigate future similar problems. Therefore, I urge upon the Hon'ble Jal Shakti Minister to provide central financial assistance along with technical support by Ganga Flood Control Commission (GFCC) for flood control and river management not only in the Sirsa Parliamentary constituency but also in Haryana for embankments wherever the Ghaggar River is prone to breaking. This will help to minimise avoidable damages in case of flooding by Ghaggar river due to future heavy rainfalls.

**(viii) Need to provide safety and security to
women, children and Dalits**

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): राजस्थान में अपराध की स्थिति दिनों दिन बिगडती जा रही है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि महिलाओं, बच्चियों और दलितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन विषयों का संज्ञान लें और राजस्थान प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार को समुचित दिशा-निर्देश जारी करें।

**(ix) Need to extend train services terminating at
Ahmedabad up to Rajkot**

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): मैं रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कई ट्रेनों की यात्रा अहमदाबाद स्टेशन में समाप्त होने के बाद और अगले परिचालन के ले-ओवर अवधि के आधार पर उक्त ट्रेनों को राजकोट तक विस्तार करने की संभाव्यता है, इसीलिए कई बार मांग रखी गयी है। सुरेंद्रनगर राजकोट सेक्शन पर ट्रैक दोहरीकरण का काम पूरा होने के कगार पर है, और साथ ही राजकोट में नई अत्याधुनिक पिट लाइन की उपलब्धता भी शामिल है, इसलिए उक्त ट्रेनों के विस्तार करने का अवसर है, जो रेलवे और सौराष्ट्र के यात्रियों को भी लाभ होगा। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि, उक्त ट्रेनों को अहमदाबाद से राजकोट तक विस्तार करने का शीघ्र आदेश दें, इससे न केवल रेलवे को, बल्कि सौराष्ट्र के सभी नागरिकों को भी सुविधा होगा।

(x) Need to amend section 108 of Indian Evidence Act to reduce the period from 7 to 3 years for presuming dead the person(s) whose bodies are not traceable during natural calamities

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): बाढ़, तूफान, भूकंप तथा भूस्खलन इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश के विभिन्न भागों में जनहानि होती रहती है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों में कुछ के शव प्राप्त हो जाते हैं परन्तु प्रभावित क्षेत्रों में शवों को ढूंढना अत्यंत कठिन होने के कारण अनेक व्यक्तियों के शव प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 108 के अनुसार इन संभवतः मृत लेकिन लापता व्यक्तियों को सात वर्ष तक मृत नहीं माना जाता। परिणामस्वरूप इन प्रभावित परिवारों को बीमा, मुआवजा इत्यादि का लाभ नहीं मिल पाता तथा संपत्ति इत्यादि के मामले भी अटके रहते हैं। दुर्घटना के कारण पहले से ही भावनात्मक और मानसिक आघात से पीड़ित परिवार की आर्थिक समस्याएं इस कारण और भी बढ़ जाती हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु की धारणा पर निर्णय करने हेतु सात वर्ष की यह समयावधि वास्तव में लंबी हो जाती है। आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करके इस समयावधि को कम किया जा सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण अप्राप्त शवों के व्यक्तियों की मृत्यु की धारणा सम्बन्धी नियम की समीक्षा करके उसे वर्तमान सात वर्ष के स्थान पर अधिकतम तीन वर्ष किया जाए।

**(xi) Need to resume flight services from Nanded to Mumbai,
Amritsar, Chandigarh, Delhi and Hyderabad**

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ हुजूर सचखंड गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है। कोविड के बाद नांदेड़ से दिल्ली और मुंबई तथा अमृतसर/चंडीगढ़ की विमान सेवाएं बंद की गई थीं। तब से अब तक सभी विमान सेवाएं शुरू नहीं की गई हैं। जबकि अब सब सामान्य हो चुका है। नांदेड़ से देश ही नहीं विदेश से भी बहुत यात्री विमान सेवाओं का उपयोग करते हैं। मैंने इस बारे में कई बार पत्र लिखकर मांग भी की है लेकिन अभी तक नांदेड़ की विमान सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया गया है। जबकि पर्याप्त मात्रा में यात्री भी मौजूद हैं, जिससे कि विभाग को अच्छा राजस्व भी प्राप्त होता है।

जनहित में सरकार से मेरी मांग है कि नांदेड़ से मुंबई, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली तथा हैदराबाद की विमान सेवाओं को पुनः शुरू किया जाए।

**(xii) Need to construct a rail over bridge at level crossing no. 43 between
Palanpur and Gandhidham railway lines in Gujarat**

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत भीलडी गाँव के पास भीलडी नेसडा पेपलू नामक एक बड़ी जिले की सड़क है जो थराद और दीयोदर तहसील को जोड़ती हुई मुख्य सड़क है एवं इसी पर पालनपुर गांधीधाम रेलवे डबल लाइन में LC 43 स्थित है और इसके नजदीक का गाँव सोयला पड़ता है। इस रोड से आसपास के 30 से 40 गांवों की आबादी आवागमन करती है। भीलडी एक विकसित क्षेत्र है और यहाँ यह फाटक दिन में कई बार बंद रहने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ओवरब्रिज बनाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि LC 43 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**(xiii) Regarding problem of water-logging in underpasses of
Railway Freight Corridor Project in Akbarpur
Parliamentary Constituency**

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): मैं सरकार का ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र अकबरपुर (उत्तर प्रदेश) में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर योजना के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अंडरपासों के त्रुटिपूर्ण निर्माण के कारण अंडरपासों में जलभराव के कारण बाधित आवागमन की समस्या एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में लगातार माल ढुलाई में लगे भारी वाहनों के आवागमन के चलते जनपद कानपुर देहात एवं जनपद कानपुर नगर की लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों से निर्मित कई सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा मानकों के विपरीत निर्मित कराये गए रेलवे अंडर पासों पर जलभराव के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में मैंने अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को दिनांक 19.11.2019 एवं कोई कार्यवाही न होने के कारण दिनांक 15.09.2020 को प्रकरण को लोकसभा सदन में शून्य काल के माध्यम से समस्या का निदान कराये जाने हेतु आग्रह किया था इसके उपरांत दिनांक 01.06.2021 तथा दिनांक 04.08.2021 एवं दिनांक 01.11.2021 को पत्र एवं भेंट कर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड से पुनः आग्रह किया था। इसके पश्चात मेरे द्वारा दिनांक 13.11.2021 को भावपुर से सरसौल तक एवं दिनांक 15.11.2021 कंचौसी से भावपुर तक समस्त अधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनों की मौजूदगी में स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान जर्जर सड़कों एवं मानकों के विपरीत बनाये गए अंडर पासों से आवागमन की समस्या डी०एफ०सी०सी०एल० एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से किये गए अनैतिक व्यवहार के कारण क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा रोष व्यक्त करते हुए रेलवे सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को मौके पर दिखाकर अवगत कराया तथा सम्बंधित पत्र प्रेषित किये गए फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में निर्मित कराये गए सभी अंडर पासों में जलभराव की समस्या मुख्य रूप से सामने आयी क्योंकि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पानी निकासी हेतु कहीं भी हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण नहीं किया गया इसके साथ अंडर पासों के

मध्य निर्मित नालियों के गलत तरीके से निर्माण कराये जाने एवं केमिकल न डाले जाने कारण अंडर पासों की दोनों ओर निर्मित दीवारों से जल रिसाव एवं अंडर पास पर डीएफसीसीआईएल द्वारा निर्मित कराये गए टीन शेड छोटे निर्मित किये जाने के कारण भी बौछार का पानी भी जलभराव का मुख्य कारण प्रतीत हुआ तथा तीव्र मोड़ दिए जाने के कारण विगत में हुयी कई दुर्घटनायें प्रकाश में लायी गयी एवं कई अंडर पासों की दीवारों पर चिटकन एवं दरार भी दिखी जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर भी क्षेत्रीय लोगों द्वारा सवाल उठाये गए अंडर पासों के त्रुटिपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में मौके की स्थिति को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से चेयरमैन डीएफसीसीएल को भी दिखाया गया इसके अतिरिक्त डीएफसीसीएल के अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण में त्रुटिपूर्ण मुआवजे के कई प्रकरण प्रकाश में आये । जहाँ एक ओर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अंडर पासों का त्रुटिपूर्ण निर्माण कराकर सरकारी धन का नुकसान किया है वहीं दूसरी ओर कई अंडर पास जिनका कोई प्रयोग न होने बावजूद सरकारी धन का दुरुपयोग कर निर्माण कराया गया है जर्जर सड़कों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंताओं द्वारा वर्तमान में प्रेषित किये गए पत्रों के माध्यम से जनपद कानपुर नगर क्षेत्र की 47 सड़कों एवं जनपद कानपुर देहात की 37 जर्जर सड़कों की सूची प्रेषित की गयी उक्त पत्रों पर मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं उपजिलाधिकारियों द्वारा संस्तुति करते हुए सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डीएफसीसीएल को पत्र प्रेषित किया है इसके अलावा क्षेत्र के सम्बंधित उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रेषित अपनी आख्याओं के माध्यम से क्षेत्र की रेलवे सम्बन्धी कई समस्याओं से अवगत कराते हुए प्राप्त शिकायतों एवं कमियों का त्वरित निस्तारण कराये जाने के निर्देश एवं जाँच आख्याओं से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है सम्बंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा मंत्रालय को भ्रामक सूचना एवं गलत तथ्यों से अवगत कराया गया है जिस पर मेरे द्वारा अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को पुनः अवगत कराया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने, त्रुटिपूर्ण निर्मित किये गए अंडर पासों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर यथासंभव सुधार कराये जाने तथा क्षेत्रीय जनों की रेलवे सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराये जाने हेतु सम्बंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश निर्गत करने की कृपा करें ।

**(xiv) Regarding setting up an All India Institute of
Medical Sciences in Kerala**

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the Hon'ble Health Minister's attention to the delay in setting up an All-India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Kerala, despite repeated iterations of the issue. The announcement to set up an AIIMS in Kerala was made by the Central Government in 2015. Under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, the Government plans to establish an AIIMS in every state. 22 AIIMS have been sanctioned under PMSSY but Kerala does not feature in the list. After repeated requests over the years, including several interventions I made personally, the Union Health Ministry in April 2022 had given in-principle approval for setting up AIIMS in Kerala. In January 2023, the State Government had also urged the Centre to give approval for the project. Yet, there is no allocation for the proposed AIIMS in the Union Budget. The doctors in the state's Medical College Hospitals are overburdened, and tertiary healthcare is inadequate. An AIIMS with its premier medical facilities will evenly distribute the state's worrying patient load while ensuring state-of-the art treatment for patients. Given the enabling conditions in the state, I therefore, urge the Hon'ble Minister to expedite this process so that the patients of the state can avail medical facilities of our premier medical institute without delay.

(xv) Regarding release of Indian fishermen detained in Iran

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I request immediate intervention of the Government for release of Indian fishermen detained in Iran. Ten fishermen were imprisoned in Iran for alleged violation of sea border in June, 2023. Out of these 10 fishermen, five are from my Parliamentary Constituency. These fishermen (seven from Kerala and three are natives of Tamil Nadu) were engaged in fishing in Ajman area of Dubai during the last ten years. They were caught by the Iranian Coast Guards for violation of sea border and were imprisoned. It is known that Iranian authorities have not given permission for Consular access to the detained. The poor families of fishermen are worried and are requesting immediate intervention for their release. I request the Government to take necessary steps for their early release and repatriation.

**(xvi) Regarding construction of Angamali – Sabari
railway line in Kerala**

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): 11 KMs long Angamali – Sabari rail project is the 1st phase of Angamali- Erumeli-Pathanamthitta-Punaloor-Thiruvananthapuram parallel railway line. Angamali - Erumeli railway line will provide connectivity to the national Pilgrim Centre, Sabarimala with many other Pilgrim Centres including Kalady, the birth place of Aadi Shankaracharya, Bharananganam the Shrine church of St. Alphonsa, famous Christian Pilgrim Centre and Erumeli the centre of religious fraternity. This Railway line will connect 14 commercial and industrial centres of Kerala. Moreover, Idukki district will get railway connectivity through this ambitious railway line project. It will have a great impact on the pilgrim tourism potential of state and overall development of Ernakulam, Idukki, Kottayam and Pathanamthitta districts of Kerala. The work was sanctioned 25 years ago, and some construction started. But it was stalled and the project was lying dormant for a long time. The state government has agreed to contribute 50% of the project cost. INR 100 crores was allocated in the last Union budget. However, progress is happening at snail's pace. I urge upon the Government to take immediate steps so that the true potential of central Kerala and districts of Idukki and Pathanamthitta is unlocked.

**(xvii) Regarding stoppage of Vande Bharat Express running from MGR
Chennai Central to Coimbatore at Jolarpettai in Tamil Nadu**

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I would like to draw the attention of Hon'ble Minister for Railways about the significant Railway Junction "Jolarpettai" (close to District Headquarter) in Tamil Nadu which is not only a big railway Junction but a point from where various parts of South India are connected. Moreover, a hill station "Yelagiri" is situated near to Jolarpettai which is the major tourist attraction. There is a huge public demand for allowing stoppage of "Vande Bharat" Express Train (20643/20644) MGR Chennai Central to Coimbatore at Jolarpettai in Tamil Nadu. I request the Hon'ble Minister of Railways to consider the demand of the public which will be helpful to the people of that region as well as for the visiting tourists from different parts of India and abroad.

**(xiii) Regarding erosion caused by river
Ganga in Murshidabad district**

SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR): Ganga, the major river that flows through Murshidabad district, plays a major role in the financial and agricultural sectors. Ganga erosion is a major concern for the people of Murshidabad District, especially for Block and Farakka, Raghunathganj-II, Lalgola Block, Sagardighi Samserganj Block which are most affected. Lots of houses, schools, temples, mosques, and crematoriums on the bank of the river have no trace left. In August 2020, nearly after 50 years, this region faced erosion which washed away dwelling places, temples, schools, litchi and mango orchards, and agricultural lands along the right bank. According to the 2020-21 Murshidabad District Disaster Management Plan, more than 65,000 households in villages of Samserganj block have been identified as vulnerable to flood, water logging, and erosion. I strongly demand on behalf of these homeless people, who are to lose their belongings, to inform the concerned authority to take permanent action to stop the erosion of the Ganga. Along with that, I appeal to render help to those who have lost their livelihood. People who lost their homes due to erosion need rehabilitation. The Farakka Barrage project has many vacant lands. Those vacant lands may consider for rehabilitation for the families who lost their homes.

(xix) Regarding setting up of Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks in Andhra Pradesh

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I would like to draw the kind attention of the Government towards the recently rolled out decision of setting up 20 Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks as a part of creating 20 Lakhs Jobs in the country as well as to attract massive investments into the country. Though I am happy with the decision of the Hon'ble Prime Minister, I feel unhappy with the decision that Andhra Pradesh has not been included in the list of states for the establishment of such Textile Parks. Andhra Pradesh is one of the states that localized textile industry in Uppada in Uttara Andhra and Dharmavaram in Rayalaseema regions of Andhra Pradesh which are well-known as big textile hubs in the state. The textile industry has been one of the important industries in the state since history. Keeping in view the historical fame and name having large numbers of textile workers and their continuous demand for the establishment of such parks in the state, I request the Government of India for considering Andhra Pradesh in the list for setting up PM MITRA Mega Textile Parks for which we the people of Andhra Pradesh will be indebted.

**(xx) Need to provide financial assistance to compensate the damage
caused to property and crops due to heavy rains in
Buldhana Parliamentary Constituency**

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): जैसा कि सभी को ज्ञात है कि देश भर में इन दिनों भारी बरसात और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर तो ऐसा भयंकर मंजर दिखाई दिया कि आंखे नम हो जाती हैं और अनायास ही प्रभु का नाम जुबान पर आ जाता है। इसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में भी बरसात के कारण काफी भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसको शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है। मेरे क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 18 जुलाई से 20 जुलाई, 2023 तक मेरे बुलढाणा क्षेत्र के मलकापुर, शेगांव, जलगांव, नांदुरा, जलगांव जामोद, संग्रामपुर जिलों में बारिश में भयंकर तबाही मचाई है। इन क्षेत्रों में कापूस, सोयाबीन, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, केला, संतरा, सब्जियां इत्यादि की फसलें तैयार की जाती हैं, जो कि बरसात के कारण पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि बरसात का पानी सतपुड़ा के पर्वतों से बहकर इन क्षेत्रों में प्रवेश कर गया जिससे यह क्षेत्र पूरा पानी-पानी हो गया। इसी कारण लगभग 152413 हैक्टेयर भूमि पर फसलें नष्ट हो गई हैं और लगभग 12264.00 हैक्टेयर भूमि पूरी तरह से बरसात के पानी में बह चुकी हैं। कुल मिलाकर 164,677.00 हैक्टेयर भूमि पर बरसात का कहर टूटा है। इस आपदा में लोगों के घर, पशु एवं अन्य जरूरत की चीजें भी बरसात के पानी में बह चुकी हैं। लोग बेघर हो चुके हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों का जीवन-यापन करना मुश्किल हो गया है। यहां पर यह बताना भी आवश्यक हो जाता है कि प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी बहुल जनसंख्या भी है, जो कि आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। रास्तों की हालत बेहद ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिससे यहां के लोग कठिन जीवन जीने पर मजबूर हो गये हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा के जिलों में भयंकर बरसात के पानी के कारण हुए फसलों, जमीन एवं घरों तथा पशुओं के नुकसान की भरपाई के रूप में केन्द्र सरकार एक विशेष पैकेज के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि मेरे क्षेत्र के प्रभावित लोग पुनः अपना जीवन शुरू कर सकें।

(xxi) Need to expedite Koshi-Mechi link project

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): कोसी-मेची लिंक परियोजना बिहार राज्य में कोसी के तीन जिलों मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और सीमांचल के चार जिलों में करीब एक लाख से अधिक हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी और बाढ़ से भी निजात मिलेगी। इसमें हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार सहित पूर्णिया, किशनगंज और अररिया चार जिले शामिल हैं। इस परियोजना से कटिहार जिले में लगभग 35 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और बाढ़ से भी निजात मिलेगी। जिसमें कटिहार जिले के अन्तर्गत कदवा, डंडखोरा, प्रानपुर, मनिहारी, बरारी, कुर्सेला एवं अहमदाबाद प्रखंड लाभान्वित होगा। इस संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष में कोसी-मेची लिंक परियोजना के बारे में मामला आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया था। केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए, बिहार राज्य सरकार का कोसी-मेची लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी बजटीय प्रावधान किया जाए। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से माँग करता हूँ कि कोसी-मेची लिंक परियोजना बिहार राज्य में कोसी के तीन जिलों और सीमांचल के कटिहार सहित चार जिलों में इस परियोजना में तेजी लाई जाय, साथ ही मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी बजटीय प्रावधान को भी लागू किया जाए।

**(xxii) Regarding enhancement of pension of
EPS 95 pensioners of Odisha**

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Finance and Hon'ble Minister of Labour and Employment regarding a deep sense of deprivation, frustration and dissatisfaction among two Lakhs EPS95 pensioners of Odisha who are getting pension ranging between *500/to 3500/- per month without DA to neutralise the price index. Half of them are getting less than 1000/- as pension since September 2014 and leading a very precarious life due to want of proper food and medicine for survival. Therefore, I would request the Hon'ble Ministers to kindly consider the sorrowful plight of two lakhs EPS-95 pensioners of Odisha for enhancement of minimum pension to 9000/- plus DA per month so that the concerned families can get minimum support for food and medicines at their old age for survival.

(xxiii) Regarding grant of funds and national status to Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Scheme

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): I want to draw the attention towards the Telangana State's irrigation projects, particularly Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Scheme. It is essential to draw attention towards this issue and demand that it be addressed promptly. PRLIS project is a ray of hope for the drought-prone areas of Nagarkurnool, Mahabubnagar, Vikarabad, Narayanpet, Rangareddy, and Nalgonda districts. It aims to provide water for over 12.5 lakh acres and fulfil drinking water needs of many villages, Hyderabad and industries. The project has the potential to transform lives and reduce struggles caused by water scarcity, but the Government of India is completely neglecting Telangana's irrigation projects providing no support or funds. Obstacles are being created in granting permissions and also being refused to grant National status to projects. Meanwhile, projects in other states are receiving funding, permissions as well as national status. I want to ask how fair is it that the Union government has refused to grant national status to the PRLIS while readily granted national status to the Upper Bhadra irrigation project in Karnataka. I request the Government to provide the required funds and national status to PRLIS which is one of the most significant projects of Telangana.

(xxiv) Need to revive Ashok Paper Mill in Darbhanga

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर): हमारे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर (बिहार) के अंतर्गत दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा के रामेश्वरनगर में स्थित लगभग 400 एकड़ प्रमुख भूमि में फैले हुए अशोक पेपर मिल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसकी स्थापना दरभंगा राज द्वारा 1958 में की गई थी और यह उत्तर बिहार का एकमात्र प्रमुख औद्योगिक उद्यम था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1982 में वित्तीय स्थिति बिगड़ने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। 1996 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र ने इस मिल को पुनर्जीवित करने के लिए इसका निजीकरण कर दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मिल 2003 से व्यावसायिक उत्पादन नहीं कर रही है एवं वर्तमान में यह बंद पड़ी हुई है। इस क्षेत्र के हजारों परिवारों को अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि केंद्र सरकार अशोक पेपर मिल, दरभंगा को पुनर्जीवित करने पर पुनः विचार करे अन्यथा इस मिल की भूमि पर नया उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव लाए ताकि स्थानीय लोगों रोजगार का अवसर मिल सके एवं उनका सर्वांगीण विकास हो पाए।

(xxv) Need to lift the ban on export of non-basmati rice

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सरकार का ध्यान हाल ही में हुए गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस प्रतिबंध के कारण कालानमक चावल के निर्यात पर रोक लग गई है। कालानमक चावल उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लगभग 20 जिलों में उगाया जाता है। चावल की यह किस्म अपनी इतिहास छठी शताब्दी ईसा पूर्व से तराशती है; इसे भगवान बुद्ध द्वारा श्रावस्ती के लोगों के लिए एक उपहार माना जाता है, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया था। हाल में इसे उत्तर प्रदेश के "एक जिला, एक उत्पाद" स्कीम के अंतर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र सिद्धार्थनगर के उत्पाद के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब कालानमक चावल उत्पादन में पिछले 3 साल में तीन गुना वृद्धि देखी गई है। यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस चावल की अंतर्राष्ट्रीय मांग 2019-20 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में कुल उत्पादन का लगभग 7 प्रतिशत हो गई है। अतः मैं सरकार को गैर बासमती चावलों के निर्यात पर लगाए गए रोक को समाप्त करने की आग्रह करता हूं।

(xxvi) Regarding train services in Eastern UP and Bihar

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): In more than 40 trains mostly operating in Eastern UP and Bihar, sleeper and general coaches are being reduced and replaced by AC coaches. Out of 22 coaches in long distance trains, instead of 7 only 2 sleeper coaches are being placed and 3 extra AC coaches are being placed. This means that in every train minimum 300 to 400 passengers will have to opt for travel in AC coaches instead of sleeper/general coaches. Passengers will have to bear more than double the cost of the journey as compared to before. 3AC online ticket costs Rs. 500 to 600 more than general ticket. The railway has already withdrawn concession for Senior citizens since March 2020. Poor people, farmers, students, working class have been affected most. Train is the most common mode of travel for general public. Trains are lifeline for common man. There is a demand for more train stoppages and operation of more trains, Government is making travel costlier. Government has the objective of welfare state and should not merely focus on profit motive. I request that sleeper/general coaches should not be reduced. Even if they have to be replaced by AC coaches, fare should not be increased. Restore concession for senior citizens especially in sleeper and 3AC coaches.

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 18, श्री पंकज चौधरी जी ।

14.08hrs**STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL FOR AMENDING THE FIRST
SCHEDULE OF CUSTOMS TARRIF ACT,1975**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं श्रीमती निर्मला सीतारण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ:

“कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (अ) दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतद्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रापेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।”

माननीय सभापति : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

“कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (अ) दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतद्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रापेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।”

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मनीष तिवारी जी ।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय सभापति जी, जब अविश्वास प्रस्ताव इस पटल पर रखा गया हो, तब यह स्टेचुटरी रेज़ोल्यूशन इल्लिगल है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (अ) दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतद्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रापेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 19, श्री अर्जुन मुंडा जी।

14.10 hrs

**CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER
(FIFTH AMENDMENT) BILL, 2022
Amendments Made by Rajya Sabha**

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूँ:

“कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक[@] में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाए” :-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “तिहत्तरवें” शब्द के स्थान पर “चौहत्तरवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक “(पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2022” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक “(संशोधन) अधिनियम, 2023” प्रतिस्थापित किए जाएं।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाए।”

* Moved with the recommendation of the President.

[@] The Bill was passed by Lok Sabha on the 21st December, 2022, and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held on the 25th July, 2023 and returned it to Lok Sabha on the same day.

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “तिहत्तरवें” शब्द के स्थान पर “चौहत्तरवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक “(पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2022” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक “(संशोधन) अधिनियम, 2023” प्रतिस्थापित किए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

“अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “तिहत्तरवें” शब्द के स्थान पर “चौहत्तरवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक “(पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2022” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक “(संशोधन) अधिनियम, 2023” प्रतिस्थापित किए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर यह सभा सहमत है।

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 20, श्री अर्जुन मुंडा जी।

14.13 hrs

**CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER
(THIRD AMENDMENT) BILL, 2022
Amendments Made by Rajya Sabha**

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूँ:

“कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक® में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए ” :-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “तिहत्तरवें” शब्द **के स्थान पर** “चौहत्तरवें” शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक “(तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2022” **के स्थान पर** शब्द, कोष्ठक और अंक “(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023” **प्रतिस्थापित** किए जाएं।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।”

* Moved with the recommendation of the President.

® The Bill was passed by Lok Sabha on the 16th December, 2022, and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held on the 26th July, 2023 and returned it to Lok Sabha on the same day.

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “तिहत्तरवें” शब्द के स्थान पर “चौहत्तरवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक “(तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2022” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक “(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023” प्रतिस्थापित किए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “तिहत्तरवें” शब्द के स्थान पर “चौहत्तरवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, शब्द, कोष्ठक और अंक “(तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2022” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक “(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023” प्रतिस्थापित किए जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर यह सभा सहमत है।

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

14.15 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE ... Contd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT

KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Small Industries Development Bank of India, Lucknow, for the year 2022-2023.
- (2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Small Industries Development Bank of India, Lucknow, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (3) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Small Industries Development Bank of India, Lucknow, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 9819/17/23]

... (*Interruptions*)

14.16 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS ...Contd.

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship *

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, on behalf of Shri Rajeev Chandrasekhar, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023, माननीय मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9748/17/23.

14.17 hrs

CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL, 2023*

As Passed by Rajya Sabha

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि चलचित्र अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधयेक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री 110 साल पुरानी है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री केवल 110 साल पुरानी ही नहीं है बल्कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का गौरव किसी देश को प्राप्त है तो वह भारत है।... (व्यवधान) भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। उस फिल्म इंडस्ट्री के हित के लिए हम इस बिल को लेकर आए हैं। ... (व्यवधान)

सभापति जी, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो केवल इस बिल में हीरो और हीरोइन के हितों तक बात सीमित नहीं है। ... (व्यवधान) इसमें चाहे वह स्पोर्ट बाय हो, मेक-अप आर्टिस्ट हो, कोरियाग्राफर हो, जूनियर आर्टिस्ट हो या डांसर हो, पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े लाखों लोगों के हित में हम बिल लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) देश की अर्थव्यवस्था और देश की साफ्ट पॉवर के साथ जुड़े इस विषय को लेकर यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आप सभी लोग उन कलाकारों को देखने के लिए सिनेमा में जाते होंगे, टीवी पर भी देखते होंगे, लेकिन जब उनके हितों की बात इस सदन में होने जा रही है तो सिनेमा जगत के खिलाफ आज यहां पर ये आवाज उठा रहे हैं न कि इसमें मदद करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। ... (व्यवधान)

वर्ष 1952 में पहली बार इस पर कानून बना था। वर्ष 1952 के बाद इसमें बड़े संशोधन नहीं हुए। आज से 40 साल पहले एक बार बड़ा संशोधन हुआ। पाइरेसी की समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-2 dated 31.07.2023.

चिंता खड़ी की है। देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है। ... (व्यवधान) फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पाइरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार बिल में संशोधन करे। ... (व्यवधान)

मुझे इस बात का गर्व होता है कि एनडीए की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज इस बिल में बहुत बड़ा संशोधन करने के लिए इसे सदन में लाई है। ... (व्यवधान) चल चित्र संशोधन बिल सिनेमोटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, 2023 में अगर आप देखें तो वर्ष 2019 में जब हम सिनेमोटोग्राफ अमेंडमेंट बिल लाए थे तब इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी में काफी लंबे समय तक चर्चा हुई। वर्ष 2020 में स्टैंडिंग कमेटी ने इसे वापस अपने सुझाव देकर भेजा। स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों के बाद 16 मार्च, 2020 में हम फिल्म इंडस्ट्री और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ वाइडर कन्सलटेशन करके इस बिल को लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) जिनमें कुछ प्रमुख हिस्सों पर आज मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा, उसके बाद सभी सदस्यों की बातें सुनने के बाद विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा।

16 मार्च, 2020 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ... (व्यवधान) पहले फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए जो अनुमति मिलती थी, उसमें दस साल के लिए आपको लाइसेंस मिलता था। दस साल के बाद वे फिर आते थे। ... (व्यवधान) आपने फिल्म बनाई, कन्टेंट आपका है। लेकिन इनकी सरकारों के समय उनको बार-बार चक्कर काटने पड़ते थे।

हमने कहा है कि अब आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हम इस बिल के माध्यम से उनको सतत् लाइसेंस देने का काम करने वाले हैं।... (व्यवधान)

महोदय, अगर मैं बात करूं, तो पिछले 40 वर्षों में टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले कैमकॉर्डर लेकर बैठते थे, उसके माध्यम से रिकॉर्डिंग का काम होता था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। नए-नए कैमराज़ आ गए हैं, फोन में कैमरा आ गया है। पाइरेसी एक ऐसी दीमक है, जो फिल्म इंडस्ट्री को जड़ से खत्म करने का काम कर रही है।... (व्यवधान) पाइरेसी एक ऐसी समस्या है, अलग-अलग रिपोर्ट्स में कहा गया है कि देश को सालाना 20,000 से लेकर 22,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होता है। देश को तो नुकसान होता है, उसके साथ-साथ फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकारों

और उससे जुड़े हुए सभी लोगों का नुकसान होता है।...(व्यवधान) जब आप यह बिल पास कर देंगे...(व्यवधान), आज यह होने वाला है कि हम उनको हक दिलाएंगे, जो अपनी फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं। हम आज उनको हक दिलाने का काम करने वाले हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जब पाइरेसी की बात आती है, तो बेचारे बड़ी मेहनत और मजदूरी के साथ अपना खून-पसीना बहाकर फिल्म तो बना देते हैं, अगर कोई एक मिनट की वीडियो क्लिप बनाता है और उसको किसी अन्य थिएटर में ऑनलाइन एग्जिबिट नहीं करता है, तो हमने उसको दंड देने का प्रावधान नहीं किया है। वह पर्सनल यूज के लिए करता है।...(व्यवधान) अगर कोई रिकॉर्डिंग करके उसको इल्लीगली एग्जिबिट करने का काम करता है, तो इसमें जेल का प्रावधान भी रखा गया है। तीन साल तक की सजा भी है, 3,00,000 रुपये तक का फाइन भी है और फिल्म की जो लागत है, उसका 5 प्रतिशत भी सजा के तौर पर दिया जा सकता है।...(व्यवधान) अगर किसी फिल्म को बनाने में 1,000 करोड़ रुपये लगे हैं, तो उसका 5 प्रतिशत यानी 50 करोड़ रुपये तक दंड के रूप में देने पड़ेंगे। हमने इस कानून को इसलिए भी थोड़ा कठोर बनाया है, ताकि कलाकारों और कला से जुड़े हुए व्यक्तियों को न्याय मिल सके।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, इसकी जो डेफिनेशन है, पहले केवल 'यू/ए' या 'एस' या 'ए' एडल्ट का सर्टिफिकेट मिलता था। जैसे हमने ओटीटी प्लेटफार्म्स पर अलग-अलग एज का क्राइटेरिया रखा है। इसमें भी जागरुकता के लिए रखा है।...(व्यवधान) मां-बाप को पता हो कि अगर 'यू/ए' 7 प्लस है, तो इसका मतलब है कि अगर 6 साल का बच्चा जाएगा, तो वह मां-बाप की सहमति से जाएगा। अगर 'यू/ए' 13 प्लस है, तो 12 साल का जो बच्चा जाएगा, वह अपने मां-बाप या अभिभावक के कहने पर जाएगा। हमने इसको थोड़ा लिबरल भी बनाया है और थोड़ा जागरुक करने की दृष्टि से भी बनाया है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, पहले जब फिल्में बनती थीं, तब क्या होता था? अगर किसी फिल्म को 'ए' या 'एस' सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वह टीवी पर नहीं दिखाई जाती थी।...(व्यवधान) हमने इसमें प्रावधान किया है कि अगर फिल्म में कोई छोटा अमेंडमेंट करता है और वह उस कैटेगरी में यानी 'यू/ए' 7

प्लस, 'यू/ए' 13 प्लस और 'यू/ए' 16 प्लस में आएंगी, तो अब वे टेलीविजन पर भी अपनी फिल्में दिखा पाएंगे।...(व्यवधान) अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास सिनेमा देखने का पैसा नहीं है, तो उसको टीवी पर सब कुछ देखने का अवसर मिलेगा। हमने इसमें यह भी प्रावधान कर दिया है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सदन के सदस्यों से सुनना चाहता हूँ। राज्य सभा में भी सबने इस बिल को आम सहमति के साथ पास किया है, सबने देश के हित में काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोक सभा के सभी माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य विचार भी देंगे और भारत की सॉफ्ट पॉवर को मजबूत करेंगे।...(व्यवधान) जैसे 'आरआरआर' ने ऑस्कर अवार्ड जीता है, 'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' ने डाक्यूमेन्ट्री में अवार्ड जीता है। भविष्य में भी भारत की फिल्में ऑस्कर और बाफ्टा जैसे अवार्ड्स जीतें, उस दिशा में ये कदम उठाए गए हैं, ताकि उनको और बल मिल सके और उनको फायदा हो। अब मैं चाहूँगा कि बाकी सदस्य भी अपनी-अपनी बात रखें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि चलचित्र अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधयेक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। वह एक ऐसा बिल लेकर आए हैं, जिससे न सिर्फ सिनेमा का उद्धार होगा, बल्कि सिनेमा बनाने वालों का भी उद्धार होगा।...(व्यवधान)

सभापति जी, हमारे देश में कलाकारों की बड़ी इज्जत है और उनको बहुत प्यार मिलता है। मैं खुद भी कला के जरिए यहां तक पहुंचा हूँ और अब हम कुछ सेवा उनको वापस दे रहे हैं। आज जब यहां मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं, तो इस देश के सिनेमा, कलाकारों और प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी समस्या पाइरेसी है। ... (व्यवधान) लोग फिल्म बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और एक झटके में कोई आता है, उनका वीडियो बनाता है, पाइरेसी करता है और उनकी सारी कमाई जीरो हो जाती है। हमारे देश में ऐसे सिनेमा बनाने वालों को 20 हजार करोड़ रुपये का हर साल नुकसान होता है। ... (व्यवधान) इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिससे पाइरेसी को रोक पाएंगे। मैं

समझता हूं कि यूएस 7, यूए 13, यूए 16 प्लस के लिए भी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी उनकी बहुत तारीफ करता हूं। ... (व्यवधान)

सभापति जी, एक सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आजकल फिल्मों के बाद ओटीटी बनने लगा है। ओटीटी अच्छा काम कर रहा है। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हर सीन में सिगरेट पीना, धुआं उड़ाना, टोबैको खाना जैसे फैशन हो गया है। ... (व्यवधान) मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और आप जानिए कि न कलाकर ऐसा चाहता है, न प्रोड्यूसर ऐसा चाहता है और न डायरेक्टर ऐसा चाहता है तो फिर यह चाहता कौन है? आज कई ऐसी शक्तियां हैं, हमारे देश में 13.5 लाख लोगों की हर साल मौत होती है, जो उनकी चिंता नहीं करती हैं। लेकिन अब सरकार ने चिंता की है, उसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मनोज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी : सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहने जा रहा हूं। इसके कारण पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, हेल्थ के एक्सपर्ट तारीफ कर रहे हैं, दुनिया में डब्ल्यूएचओ सरकार की तारीफ कर रहा है। ... (व्यवधान) मैं नरेन्द्र मोदी जी की सरकार, हमारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, इससे कलाकारों, डायरेक्टरों सबको जो फायदा होने वाला है, उसके मैं सबका समर्थन करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। आपने बोलने के लिए मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : गुरुमूर्ति जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this chance to speak on the Cinematograph (Amendment) Bill, 2023 ... (*Interruptions*)

With about Rs. 172 billion earnings in 2022, our cinema is a significant economic contributor to the nation. Taxes on the creation, transfer, and display of motion picture provide a sizeable source of income for the Government ... *(Interruptions)* However, the industry loses a whopping Rs. 22,000 crore every year due to digital piracy. In this regard, it becomes necessary to have legislation aimed at the film industry's regulation and exhibition and the certificate procedure of films in the country ... *(Interruptions)*

The Bill is essential for controlling the film industry and ensuring that films are produced, sanctioned, and screened in a way that upholds the societal norms, maintains public order, and serves the interests of both filmmakers and viewers ... *(Interruptions)*

At present, Sir, piracy has been plaguing the Indian film industry which requires immediate resolution ... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, kindly conclude, now.

... *(Interruptions)*

SHRI MADDILA GURUMOORTHY: Sir, since time immemorial, cinemas have had a strong cultural influence; and recently, as witnessed from the increased consumption of Korean Pop Culture, which has further accelerated tourism in Korea, the Central Government should also look for such lucrative attractions.

With these words, I support this Bill. Thank you.

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया। ... (व्यवधान) अभी जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में सिनेमा की स्थिति है, तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़े जनपद हैं, जैसे

उनमें लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती है। मैं इस मौके पर माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चलचित्र सिनेमा के बारे में पिछड़े जनपदों में भी ध्यान देने की जरूरत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): सभापति महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से सिनेमैटोग्राफ (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का समर्थन करता हूँ।... (व्यवधान) वर्ष 1952 का अधिनियम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी को फिल्मों में कटौती करने और उन्हें सिनेमाघरों और टेलीविजन पर प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने और फिल्म के प्रदर्शन से इनकार करने के लिए अधिकृत करता है।... (व्यवधान) वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते इस कानून में संशोधन बहुत जरूरी था। इसीलिए यह संशोधन बिल संसद में लाया गया है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, विभिन्न कार्यकारी आदेशों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे अन्य कानूनों के साथ इस कानून का सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी था।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, सीबीएफसी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार करना और प्रमाणन के लिए वर्गीकरण के दायरे का विस्तार करना इस विधेयक का मुख्य कार्य है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, पायरेसी के खतरे को रोकने के लिए फिल्म उद्योग की फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन और रिकॉर्डिंग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारी मांग थी, क्योंकि उन्हें सालाना भारी नुकसान हो रहा था।... (व्यवधान) यह विधेयक वर्तमान समय के अनुरूप प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, फिल्म पायरेसी के खतरे पर व्यापक रूप से अंकुश लगाने से, फिल्म उद्योग को तेजी से विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इस विधेयक पर कुछ चिंताएं भी हैं जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बिल के दायरे से बाहर अगर कोई अनसेन्सर्ड फिल्म ओटीटी पर प्रसारित हो तो क्या होगा? ... (व्यवधान) इस पर या तो

नियम और विनियम बनाते समय ध्यान रखना जरूरी है या फिर इस समस्या का समाधान भी इस विधयेक के माध्यम से होना चाहिए...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आयु-उपयुक्त श्रेणियां स्व-नियामक हैं...(व्यवधान) इस विधयेक में माता-पिता और अभिभावकों पर यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी डाली गई है कि सामग्री किसी विशेष आयु सीमा के दर्शकों के लिए उपयुक्त है या नहीं...(व्यवधान) बच्चे बिना माता-पिता या अभिभावक की अनुमति से फिल्म देखने चले गए, उस स्थिति में क्या होगा?...(व्यवधान) यह कैसे निर्धारित किया जायेगा कि बच्चों ने माता-पिता या अभिभावक से फिल्म देखने की अनुमति ली है?...(व्यवधान)

सभापति महोदय, U/A या A सर्टिफिकेट फिल्मों को देखने की आयु सीमा विधेयक द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए...(व्यवधान) मैं इस विधयेक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है...(व्यवधान) हमारे मंत्री जी ने इसके बारे में बताया है...(व्यवधान) हम इंडस्ट्री को बिलाँग करने वाले आर्टिस्ट्स हैं...(व्यवधान) जब ऐसी चीजें इमोशनली मंत्री महोदय के शब्दों में सभागृह में आती हैं कि स्पोर्ट्समैन, जो आर्टिस्ट्स की वहां सेवा करते हैं...(व्यवधान) मेक-अप आर्टिस्ट्स, टेकनिशियंस, लाइटमैन, जूनियर आर्टिस्ट्स, डांसर्स, कोरियोग्राफर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके लिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है...(व्यवधान) इतने लोगों को चलाने वाला व्यक्ति प्रोड्यूसर है...(व्यवधान) हमने पिछले सालों में देखा है...(व्यवधान) उन्हें 10 सालों के लिए राइट्स दिए जाते थे...(व्यवधान) हर 10 साल बाद उन्हें रीन्यूअल कराना पड़ता था...(व्यवधान) वहां पर करप्शन होता था...(व्यवधान) अपने-अपने हिसाब से सब काम होते थे...(व्यवधान) आज पायरेसी से इंडस्ट्री को 22 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है...(व्यवधान) हमारे देश को इस पायरेसी से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।

मैं मंत्री महोदय को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आर्टिस्टों, मेकअप आर्टिस्ट्स, स्पोर्ट्समैन और टेकनिशियंस के बारे में जिस तरह की उनकी भावना है, ...(व्यवधान) हमारे देश को जो नुकसान

पहुंचता है, ...(व्यवधान) कहीं न कहीं इससे हमारे देश की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा ।...(व्यवधान) एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं मंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद ।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय सभापति जी, मैं सिनेमा एक्ट, 1952 के संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाली भारतीय इंडस्ट्री है।...(व्यवधान) फिल्म पायरेसी रोकने के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है। इस पर जेपीसी में चर्चा हुई है।...(व्यवधान) सभी फिल्म इंडस्ट्री वालों से चर्चा हुई है।...(व्यवधान) महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व में सेंसर बोर्ड 10 सालों के लिए अनुमति देता था।...(व्यवधान) अब यह फॉरएवर के लिए हो गया है।...(व्यवधान) एक बार सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, तो यह हमेशा के लिए रहेगा।

इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पायरेसी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है।... (व्यवधान) पायरेसी को रोकने के लिए तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये का जुर्माना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इसमें आपने जो आयु वर्ग दिए हैं, उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो तीन आयु वर्ग 7 वर्ष, 13 वर्ष और 16 वर्ष दिए हैं, यह फिल्म उद्योग के लिए क्रांतिकारी कदम है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो सभी माननीय सदस्यों का मनोज तिवारी जी से लेकर बाकी सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने बहुत बहुमूल्य सुझाव भी दिए और बिल का समर्थन भी किया ।... (व्यवधान) लेकिन मुझे कुछ बातें सदन के सामने जरूर रखनी हैं, क्योंकि नहीं रखूंगा तो इस बिल के साथ भी और फिल्म इंडस्ट्री के चाहने वालों के साथ भी अन्याय होगा ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री तो है ही और नवनीत राणा जी ने भी अपने अनुभव इसके साथ शेयर किए... (व्यवधान) हालांकि मेरे मन में था कि किरण खेर जी से लेकर बाकी सब, निरहुआ जी हमारे बहुत बड़े कलाकर भी हैं, नेता भी हैं और यहां पर भी हैं... (व्यवधान) मनोज जी बहुत बड़े एक्टर हैं। इन सब को ज्यादा अवसर मिलता तो शायद देश के सामने ज्यादा बात आ पाती।... (व्यवधान) लेकिन सदन में हंगामा मचाने वाले चाहते ही नहीं कि अच्छा बिल भी आए और बात जनता तक जाए भी।... (व्यवधान) लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि सरकार के द्वारा इस बिल के माध्यम से जो अच्छे कदम उठाए गए हैं, वे मीडिया के मित्रों के माध्यम से कम से कम पूरी जनता तक जरूर पहुंचें।... (व्यवधान) यह फिल्म इंडस्ट्री 110 साल पुरानी है, जहां राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्म बनाई। उसके बाद अगर मैं पहली इंडियन टॉकी की बात करूं तो आलम आरा से लेकर सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली वाली पिक्चर और न जाने कितनी अनगिनत फिल्मों की गिनती यहां पर हो सकती हैं... (व्यवधान) भारत 2000 से ज्यादा फिल्में एक साल में बनाता है... (व्यवधान) यह दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है और केवल एक भाषा में नहीं, अनेक भाषाओं में करता है। आज किसी को बॉलीवुड, किसी को टॉलीवुड, किसी को कॉलीवुड, किसी को सेंट्रलहुड और किसी को मॉलीवुड अलग-अलग नामों से जाना जाता है... (व्यवधान) लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस वुड को छोड़ दीजिए, यह भारतीय सिनेमा है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, इसके लिए हमें अपने कलाकारों का अभिनन्दन-स्वागत करना चाहिए।... (व्यवधान) आज दुनिया की बड़ी से बड़ी फिल्में भी, जो बिग बजट फिल्में हैं, उनका भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम आज हिन्दुस्तान में होता है। कोई मुंबई में होता है, कोई बंगलुरु में होता है, कोई हैदराबाद में, तो कोई तमिलनाडु में होता है... (व्यवधान) हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज दुनिया भारत की ओर देखती है... (व्यवधान) We have become one of the most competitive industries in the field of cinema. यह ओटीटी, डॉक्युमेंट्री से लेकर फिल्मों तक इन सब के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भारत की ओर देखते हैं... (व्यवधान) आज सही समय है, यही समय है कि इंडिया कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बने और इंडिया कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनकर ही रहेगा।... (व्यवधान) अगर मैं आपके

सामने कहूं, द एलीफेंट व्हिस्पर्स की बात करूं, आरआरआर की बात करूं या फिर ऑल दैट ब्रीथ्स, इन सब ने, ऑस्कर में इनका नाम आने से एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है।... (व्यवधान) यही नहीं केजीएफ-2, आरआरआर, कांतारा जैसी पिक्चरों ने तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ जैसी अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री को और बल दिया है।... (व्यवधान) मैं कह सकता हूं कि वर्षों से हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री जिस पहचान की मांग करती थी, आज साउथ की फिल्मों ने रीजनल नहीं, नेशनल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल नाम बनाने का काम किया है और यह बहुत बड़ी बात है। ... (व्यवधान) इसलिए हमारा दायित्व सरकार के नाते और भी बड़ा हो जाता है कि पायरेसी को कैसे रोका जाए। ... (व्यवधान) साउथ के कई शहरों में तो ऐसा होता है कि वहां पर लोग अगर 9 बजे का शो है, तो सुबह 6 बजे आकर बैठ जाते हैं कि हमें पहला शो पहले दिन देखना है।... (व्यवधान) अगर यह बिल न आए तो उन जैसे लोगों के साथ भी अन्याय होगा। जो लोग किरण जी, निरहुआ जी, मनोज भाई जैसे या नवनीत जी जैसे कलाकारों के साथ फिल्में बनाते हैं तो यह उनके साथ भी अन्याय होगा कि उन्होंने पैसा तो लगाया, लेकिन पायरेसी से चुराकर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या स्थानीय स्तर पर बेच दिया।

इससे उनको उनकी लागत वापस नहीं मिलती है एवं जो क्रिएटिविटी है, उसको भी खत्म करने का काम किया जाता है।... (व्यवधान)

यदि भारत में देखा जाए, तो India is known as a country of storytellers. If we are known as a country of storytellers, उसके पीछे हमारी लिगेसी, हमारा कल्चर, हमारी डायवर्सिटी, हमारा हेरिटेज आदि का एक बहुत बड़ा रोल है। हमें गांव-गांव की बातें, अपने कल्चर से जुड़ी बातों को आज देश-दुनिया तक पहुंचाने का एक अवसर है।... (व्यवधान)

मैं आप सबके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। आज से छः-सात महीने पहले, मैंने सेन्ट्रल एशिया के देशों के यूथ डेलिगेशन को होस्ट किया।... (व्यवधान) जब उनको शाम के समय भोजन दिया गया, तो तुर्कमेनिस्तान, कज़ाख़िस्तान, उज़्बेकिस्तान आदि देशों के जो युवा थे, उनको हमने भारत के डांसोज़ दिखाए, भारत का कल्चर दिखाया।... (व्यवधान) उन्होंने अनुरोध किया कि वे भी अपने कुछ कल्चरल आइटम पेश करना चाहते हैं।... (व्यवधान) हमने इसकी अनुमति दे दी। मुझे लगा कि शायद वे

लोग अपने देश का कुछ गाकर बताएंगे। जब वे मंच पर आए, तो किसी ने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का गाना गाया, तब उनमें से अधिकतर लोग पैदा भी नहीं हुए थे।... (व्यवधान) इस तरह से, उन्होंने पहला गाना गाया- “I am a disco dancer”. यह किसने गाया? इसे सेन्ट्रल एशिया के देश के लोगों ने गाया।... (व्यवधान) जब दूसरा ग्रुप आया, तो उसने गाया- “जिमी-जिमी-जिमी आजा-आजा-आजा।” इसे वे अपनी भाषा में गा रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ उसे गा रहे थे। यह बात दिखाता है कि भारत के सॉफ्ट पॉवर की ताकत क्या है।... (व्यवधान) अगर इस देश से लेकर सेन्ट्रल एशिया और रशिया तक, वर्ष 2018 में मैं रशिया में फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया, तो वहाँ लोग राजकपूर जी की फिल्म-“मेरा नाम जोकर” की बात करते थे।... (व्यवधान) इसलिए यह सॉफ्ट पॉवर की ताकत है कि हम देश-दुनिया में अपने कल्चर, अपने सिनेमा और अपनी कला की छाप छोड़ सकते हैं। वह छाप छोड़ने का काम हमारे कलाकार करेंगे और पायरेसी रोकने का काम हम लोग इस बिल के माध्यम से करेंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, इस बिल के कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज रह गये हैं।... (व्यवधान)

अगले तीन साल में यह इंडस्ट्री एक सौ बिलियन डॉलर की हो जाएगी। साढ़े सात से आठ लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो जाएगी, जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। इसलिए हम उनके हितों को भी देख रहे हैं।... (व्यवधान)

इसके साथ-साथ, फीचर फिल्म, डॉक्युमेंट्री, ऑरिजनल फिल्म्स, टीवी शोज़ आदि से संबंधित बहुत-से लोगों के हितों का ध्यान भी हम लोग रख रहे हैं।... (व्यवधान) यदि आज देखा जाए, तो इन सबके साथ-साथ, इसका समर्थन करने के समय, यहाँ पर जो कुछ सवाल पूछे गए, यह कहा गया कि जो एक्ट्स हैं, चाहे कॉपीराइट एक्ट हो या आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 66 हो, इसका क्या करेंगे, तो मैं इससे संबंधित क्लैरिफिकेशन यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्योंकि यह इंडस्ट्री और मीडिया के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है।... (व्यवधान)

Any person who commits a prohibited act relating to piracy under the proposed Clauses 6AA and 6AB will be liable to be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three months, and may extend to three years under Clause 7 (1A) of the 2023 Bill. ... (*Interruptions*) यानी तीन साल से कम नहीं है। इसमें तीन साल तक सजा हो सकती है, तीन लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है और कॉस्ट ऑडिटेड प्रोडक्शन का 5 परसेंट तक उसको फाइन भी हो सकता है। इस तरह से, इसमें उसका ध्यान रखा गया है।... (व्यवधान)

It further clarifies that certain acts, as provided under Section 52 of the Copyright Act 1957, will not be punishable under this provision, Section 52. ... (*Interruptions*) But in addition to the penalty prescribed under the Cinematograph Act, a person can be prosecuted for piracy of films under the Copyright Act, 1957 and the Information Technology Act, 2000. ... (*Interruptions*) The penalty of offence under Section 51 of the Copyright Act, 1957 is set out under Section 67 where a person infringing the copyright of a copyright holder of a film shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but which may be extended to three years and with a fine which shall not be less than fifty thousand rupees, and may be extended up to two lakh rupees. ... (*Interruptions*)

इसी तरह से इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66 के तहत भी उसको पांच लाख रुपए तक की सजा हो सकती है। ... (व्यवधान) उसको दूसरी तरह से दिया जा सकता है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, इसी के साथ-साथ हमने इनके लिए फेयर कम्पनसेशन की बात भी कही है। ... (व्यवधान) उनका लाइसेंस, जो केवल दस सालों में खत्म हो जाता था, अब फिल्म वालों का

लाइसेंस दस सालों में खत्म नहीं होगा, सारी उम्र के लिए उनको भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है। ... (व्यवधान) अब आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको आपके अधिकार दे दिए हैं। ... (व्यवधान) यही नहीं, जो एज क्राएटेरिया का इश्यू है, वह मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है। ... (व्यवधान) एज क्राएटेरिया के साथ-साथ मैं एक और बात यहां करना चाहता हूं। ... (व्यवधान) यह जो चेंज ऑफ कैटेगरी है, अगर आपकी फिल्म 'ए' कैटेगरी में है, 'एस' कैटेगरी में है और आप उसको टीवी पर दिखाना चाहते हैं, तो जो क्लॉज़ सीबीएफसी आपको चेंज करने के लिए कहेगा, वह केवल टेलिविजन नेटवर्क के प्रोग्राम कोड के अनुसार अगर आप कर देंगे, तो आपको टेलिविजन पर भी फिल्म दिखाने का पूरा अधिकार मिल जाएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। ... (व्यवधान) सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है, जो कि के.एम. शंकरप्पा वरसेज़ यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है। ... (व्यवधान) कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहैल्ड किया था। ... (व्यवधान) हमने इसी को ध्यान में रखते हुए यह तय किया है कि किसी भी फिल्म की रिवीजन की पॉवर भारत सरकार के पास नहीं होगी, हमने उससे भी मुक्ति पा ली है, ताकि सीबीएफसी ने जो सर्टिफिकेट दिया है, वही फाइनल है। ... (व्यवधान) अगर रिवीजन करनी है, तो वह एक अलग कमेटी बनाकर रिवीजन कर सकती है, भारत सरकार उसमें कोई दखल नहीं देगी। ... (व्यवधान) सीबीएफसी, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वह वैसी ही बनी रहेगी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। ... (व्यवधान) जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां अपनी बात रखी है, आप सभी की बातों को हमने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके और स्टैंडिंग कमेटी में पूरी तरह चर्चा करके एक ऐसा बिल बनाया है, जो आजादी के 75वें साल में तो आया, फिल्म इंडस्ट्री के 110 साल पूरे होने के बाद आया, लेकिन अगले 100-200 सालों तक

पाइरेसी से आपको बिलकुल मुक्ति दिलाएगा । ... (व्यवधान) इस सबके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान) सभी का बहुत-बहुत आभार।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि चलचित्र अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय सभापति जी, मुझे बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आपने कहा कि बिल को पास करें, तो विपक्ष के सदस्यों ने ‘न’ कहा। ... (व्यवधान) क्या विपक्ष सिनेमा जगत के खिलाफ है? ... (व्यवधान) ये क्यों ‘न’ करते हैं? ... (व्यवधान) बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है। ... (व्यवधान) आज यह समय आया था, जब ये इसके साथ जुड़ सकते थे, लेकिन इस पर भी इन्होंने राजनीति की। ... (व्यवधान) आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कन्टेंट क्रिएटर्स के लिए इतिहास बनने जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त 2023 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

14.49 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Tuesday, August 1, 2023/Sravana 10, 1945 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.